हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

17-02-2024/1100-1105/एच.के.-एन.जी/1

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान

अध्यक्ष : अब मैं माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी से अनुरोध करता हूं कि वे वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट अनुमानों/वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2024-2025 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं :-

1. पिछले साल प्रदेश में अभूतपूर्व बरसात के कारण अनेक प्रदेशवासी असमय ही काल का ग्रास बन गए। मैं, सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिजनों के प्रति प्रदेश सरकार तथा इस माननीय सदन की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इस वर्षा के कारण प्रदेश में जान और माल दोनों का ही व्यापक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई में समय लगेगा।

2. यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है। गत् वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि जनसेवा के लिए '**अच्छे शासन** (**Good Government**)' के साथ '**अच्छे प्रशासन** (**Good Governance**)' की जरूरत है और यह भी कहा था कि हमें हर क्षेत्र में समय के अनुसार बदलाव लाना होगा। हमने इस बदलाव की शुरूआत कर दी है। मेरी सरकार ने कार्यभार सम्भालते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। अब तक 1 लाख 15 हजार कर्मचारियों ने OPS को चुना। OPS में आए सभी कर्मचारी General Provident Fund (GPF) subscription प्राप्त कर चुके हैं। NPS से OPS में आए लगभग 5 हज़ार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद OPS के अनुसार Pay and Pension Orders (PPOs) जारी किये गए हैं। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की 'स्टार्ट-अप योजना' शुरू कर दी गई है।

श्री एन.जी. द्वारा जारी.....

17-02-2024/1100-1105/एच.के.-एन.जी/2

इस योजना के दो भागों क्रमशः 'राजीव गांधी स्वरोजगार योजना' के अन्तर्गत 50 प्रतिशत उपदान पर ई-टैक्सी और 'राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना' के अन्तर्गत निजि भूमि पर 50 प्रतिशत उपदान पर 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने का प्रावधान है तथा इनका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। तीसरे और अंतिम चरण की योजना का वर्णन इस अभिभाषण में किया गया है। प्रदेश की लगभग 2 लाख 37 हज़ार महिलाओं की मासिक पेंशन 1,150 रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह सौ रुपये कर दी गई है। लाहौल-स्पिति की सभी महिलाओं को पन्द्रह सौ रुपये प्रतिमाह इसी वित्तीय वर्ष से मिलने आरम्भ हो गए हैं। हम चरणबद्ध तरीके से, प्रदेशवासियों के साथ चुनाव से पूर्व किये गए वायदों को पूरा करेंगे लेकिन हमें समझना होगा कि इसके लिए पुराने समय के नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं से काम नहीं चल सकता। सरकार को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने संगठन, संरचना, तकनीक और अपने आचार व्यवहार को बदलना होगा। प्रदेश सरकार ने गत एक वर्ष में इस दृष्टि से बहुआयामी और बुनियादी परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ की है। इन परिवर्तनों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। '**व्यवस्था परिवर्तन**' की यह प्रक्रिया न केवल जारी रहेगी बल्कि इसे और तेज़ किया जाएगा।

3. 21वीं सदी में अच्छी सरकार और सुशासन की अवधारणा पुराने विचारों और प्राचीन संस्थाओं से तय नहीं हो सकती। 21 वीं सदी के दूसरे दशक के 5वें वर्ष में प्रवेश करते समय हमें पूरी दुनिया की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता है।

4. अध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि आज Global World में दुनिया के सभी संघर्षों, युद्ध और ज्वलंत मुद्दों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। गाजा पट्टी में इजराईल-फिलिस्तीन संघर्ष हो या युक्रेन युद्ध, इनका असर किसी न किसी तरह हमारे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।

17-02-2024/1100-1105/एच.के.-एन.जी/3

5. वैसे तो परिस्थितियों और अवसरों में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है किन्तु हर बदलाव की एक विशेषता होती है। वर्तमान समय में जहां एक ओर विश्व का बढ़ता औसत तापमान और उसके दुष्प्रभाव जैसी चुनौतियां हैं, वहीं Disruptive Technologies के नैतिक प्रयोग से बेहतरी लाने की अपार सम्भावनाएं है। हमारी सरकार Artificial Intelligence के प्रयोग से उपलब्ध अवसरों पर गम्भीरता से काम करेगी। इसके माध्यम से समग्र विकास और जन कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा जोकि प्रदेश की '**आत्मनिर्भरता**' की ओर हमारी यात्रा को गति देगा।

6. अध्यक्ष महोदय, विकास का रास्ता कठिन है, इसमें बाधाएं भी हैं, परन्तु हम किसी भी बाधा को विकास के रास्ते में रूकावट नहीं बनने देंगे। कठिन समय में कठिन निर्णय लेने की क्षमता का नाम ही सुशासन है। मेरी सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। गत वर्ष की प्राकृतिक आपदा के दौरान हमने यह क्षमता प्रदर्शित भी की है। नीति आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं द्वारा की गई प्रशंसा के साथ-साथ विश्व बैंक द्वारा भी हमारी सरकार द्वारा किये गए राहत कार्यों की सराहना की गई है।

7. सरकार ने आपदा प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए वर्षों से चले आ रहे राहत एवम् पुनर्वास नियमों में बदलाव किया और 4 हजार 500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार को अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा के बाद भी केन्द्र से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई। परन्तु फिर भी हमने प्रदेश स्तर पर अपनी प्राथमिकताएं तय की और हर प्रभावित व्यक्ति को यथा-सम्भव सहायता प्रदान की। हमने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि को 1 लाख 30 हजार रुपये से बढ़ा कर 7 लाख रुपये किया जोकि अभूतपूर्व बढ़ौतरी है। इसी प्रकार कच्चे घर के आंशिक नुकसान के मुआवजे को

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

17.02.2024/1110/केएस/वाईके/1

मुख्य मंत्री जारी----

6 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया है। दुकानों और ढाबों के नुकसान पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को चार गुणा बढ़ाकर 25 हजार रुपये से 1 लाख रुपये किया और गौशालाओं के नुकसान पर मिलने वाली राहत राशि को सिर्फ 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया। इतना ही नहीं हमने आपदा प्रभावित परिवारों को घर किराये पर लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्र में 10 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि मंजूर की। इस बढ़ी हुई सहायता राशि की मदद से 2 हजार 968 लाभार्थियों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए, 10 हजार से अधिक लाभार्थियों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान की मुरम्मत के लिए, 3 हजार 648 लाभार्थियों को गौशालाओं के लिए तथा लगभग 1 हजार 800 लाभार्थियों को पशुधन के नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 2 हजार 600 किसानों को उनकी फसल ओर जमीन को हुए नुकसान के लिए तथा 507 दुकानों व ढाबों की मुरम्मत के लिए सहायता प्रदान की गई। 22 हजार 130 लाभार्थियों को तुरन्त राहत सहायता पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 31 मार्च, 2024 तक LPG Connection तथा खाने-पीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है तथा सम्भवतः किसी भी आपदा की स्थिति में पूरे देश में सबसे अधिक liberal financial package रही है।

8. हमारी सरकार केवल और केवल जन कल्याण के लिए सत्ता में आई है। मैंने बार-बार कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की तकदीर बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। हम प्रदेश के हर नागरिक के दूरगामी हित को ध्यान में रख कर कार्य कर रहे हैं।

समाज के उपेक्षित, वंचित और हाशिये पर रहने वाले लोग हमारे लिए प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं।

9. "मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना" समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की मेरी सरकार की नीयत और नीति का एक उदाहरण है जिसके तहत 4 हजार से अधिक बच्चों को "Children of the state" के रूप में अपनाया गया है। इस योजना के माध्यम से हम हर प्रदेशवासी को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार हर समय प्रत्येक प्रदेशवासी के साथ खड़ी है और उनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है।

10. अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम है लोगों के रोज़मर्रा जीवन में सरकार के साथ सम्बन्धों में सुधार हो, नियमों, प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और सरकारी सेवाओं को घर द्वार पर उपलब्ध करवाये। आम आदमी को ज़मीन से जुड़े मामलों में दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और जटिल प्रक्रियाओं के कारण मुश्किलों का सामना न करना पड़े इसलिए हमने राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन प्रारम्भ किया है। इन विशेष अदालतों में अभी तक 89 हजार 91 इन्तकालों तथा तकसीम से सम्बन्धित लगभग 6 हजार मामलों का निपटारा किया गया जो वर्षों से लम्बित थे। हमारी सरकार द्वारा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से Forest Clearances से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया। जिसके फलस्वरूप लगभग 10 वर्षों से अधिक लम्बित जल विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं के 58 प्रस्तावों में पिछले 1 वर्ष के दौरान Forest Clearances पर सैद्धांतिक मंजूरी और 71 प्रस्तावों पर भारत सरकार की अंतिम मंजूरी प्राप्त की गई। सरकार द्वारा NGT के "Development Plan for Shimla Planning Area (2041)" पर किए गए फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सशक्त चुनौती दी गई। हमारे प्रयासों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NGT के फैसले को पलट कर "Development Plan for Shimla Planning Area (2041)" पर मोहर लगाई गई जिससे शिमला निवासियों को राहत मिली है। इसी ऐतिहासिक फैसले के कारण जाठिया देवी में एक आधुनिकतम टाउनशिप बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है।

17.02.2024/1115/केएस/वाईके/1

11.मेरी सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक "हरित ऊर्जा राज्य" बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पहल करने वाला देश का अग्रणीय राज्य है। हमने, प्रदेश में 6 "ग्रीन कॉरिडोर" स्थापित किए हैं। हिमाचल ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजैक्ट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 4 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा 3 हजार 500 से अधिक प्रदेशवासियों को रोज़गार मिलेगा। इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हिमाचली युवाओं को ई-वाहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस योजना को लेकर युवाओं में बहुत उत्साह है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं Roof Top Solar Plants तथा गैर परम्परागत ऊर्जा आधारित निवेश को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

12.कुछ वर्ष पहले तक हिमाचल प्रदेश "देश के बिजली राज्य" के रूप में जाना जाता था परन्तु पूर्व में अपनाई गई गलत नीतियों के कारण एक तरफ नई बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के उत्साह में कमी आई है और दूसरी तरफ पूर्व सरकारों द्वारा जिन अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनकी कुछ बातें प्रदेश के हित में नहीं हैं। इन नीतियों में और भी सुधार और बदलाव की आवश्यकता है। हरित ऊर्जा देश और दुनिया का भविष्य है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। इस दिशा में निवेश ओर रोज़गार की भी अपार सम्भावनाएं हैं। मेरी सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

13.अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन समय की मांग है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप अपने लिए सही रास्ते का चुनाव करना समय की आवश्यकता है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब बड़े बदलाव की जरूरत पड़ती है तब-तब परम्परागत तौर तरीकों को बदलना पड़ता है। इनसे थोड़े समय के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है परन्तु यह व्यवधान अस्थाई होता है और इसके बाद ही नव-निर्माण सम्भव होता है। आज का समय हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व से यही मांग कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सभी चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे और इस बदलाव की सहायता से समृद्ध एवं सम्पन्न हिमाचल की गाथा लिखकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे।

14. अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने आने वाले 10 वर्षों में समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना की है, उसके मुख्य बिन्दु हैंः-

17.02.2024/1115/केएस/वाईके/2

1. आत्मनिर्भर हिमाचल, 2. समृद्ध किसान हिमाचल, 3. हरित और स्वच्छ हिमाचल, 4. बिजली राज्य हिमाचल, 5. पर्यटन राज्य हिमाचल, 6. कुशल और दक्ष हिमाचल, 7. स्वस्थ एवं शिक्षित हिमाचल, 8. निवेशक मित्र हिमाचल, 9. नशा मुक्त हिमाचल, 10. अवैध खनन मुक्त हिमाचल, 11. समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल।

15. यह सम्पन्न, समृद्ध, सुसंस्कृत, स्वस्थ, समर्थ, संबल और आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना है। इस बदलाव का नेतृत्व प्रदेश के ऊर्जावान युवा और सशक्त महिलाएं करेंगी। यह ऐसे हिमाचल की तस्वीर है जिसमें एक छोर पर गांव के स्तर पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन एवम् सहायक क्षेत्रों में एकीकृत विकास की पहल से किसान परिवारों की आय में निश्चित वृद्धि होगी वहीं दूसरे छोर पर हिमाचल के शिक्षित, कुशल और आधुनिक तकनीक में दक्ष युवक और युवतियां प्रदेश, देश और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हमें स्थानीय ग्रामीण स्तर पर कृषि तथा दुग्ध उत्पादन पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण से लेकर आधुनिकतम तकनीक के उपयोग तक end to end, eco-system का निर्माण करना है। इस बजट के माध्यम से मैं आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना को साकार करने का प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सभी आवश्यक बदलाव तथा structural सुधार 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम कुछ ही समय बाद आने शुरू हो जाएंगे। जिसके साथ ही आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना को 2032 तक पूरी करने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

17.02.2024/1120/av/ag/1

16. हमारी सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली प्रतिकूल वित्तीय परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है। पिछली सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबन्धन और फिजूलखर्ची के कारण हमारी सरकार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में गलत नीतियों के चलते आज ऋण के रूप में 87 हजार 788 करोड़ रुपये की कुल देनदारियां उत्पन्न हो गई है। वर्ष 2018 में कुल देनदारियां 47 हजार 906 करोड़ रुपये थी जोकि वर्ष 2023 में बढ़कर 76 हजार 651 करोड़ रुपये हो चुकी थीं। पूर्व सरकार ने हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें अपने कार्यकाल के अंत में लागू की जोकि पहले भी लागू की जा सकती थीं। इस विलम्ब के कारण कर्मचारियों के वेतन के arrears बढ़ते चले गए और उनकी देनदारी हमारी सरकार के सुपुर्द कर दी गई। लेकिन वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया। हमने सत्ता सम्भालते ही कड़े फैसले लेते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिये। State Excise Policy में बदलाव के कारण वर्ष 2023-24 में State Excise Duty में पिछले वर्ष की तुलना में 359 करोड़ रुपये की वृद्धि अपेक्षित है। पिछले वर्ष की तुलना में स्टेट एक्साइज पॉलिसी में बदलाव के कारण लगभग 360 करोड़ रुपये की वृद्धि अपेक्षित है क्योंकि यह दिनांक 31 मार्च, 2024 तक आना है। पिछले वर्ष 1 हजार 370 करोड़ रुपये VAT के रूप में प्राप्त हुए थे जोकि वर्ष 2023-24 के अंत तक 1 हजार 773 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार State Excise Duty तथा VAT में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। Milk Cess के माध्यम से लगभग 116 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार से जुटाए गए संसाधनों को प्रदेशवासियों के विकास तथा कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश को '**आत्मनिर्भर**' बनाने की दिशा में हर सम्भव प्रयास करेगी चाहे इसके लिए कड़े-से-कड़े निर्णय लेने पड़े।

17. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को '**आत्मनिर्भर**' बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता रहेगी। हमारी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को '**Post-Disaster Needs Assessment (PDNA)**' के आधार पर हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 9 हजार 906 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के NPS से OPS में आए कर्मचारियों की contribution के लगभग 8 हजार करोड़ रुपये

भारत सरकार के पास पड़े हैं। 'Bhakra- Beas Management Board' की विभिन्न परियोजनाओं में हिस्से के रूप में प्रदेश सरकार को लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपये प्राप्त होने शेष हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रदेश सरकार को 22 हजार 406 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त हो सकते हैं। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को '**आत्मनिर्भरता**' की ओर ले जाने के लिए हम सब मिलकर इस राशि को शीघ्र पाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयत्न करें।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

18. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। सभी क्षेत्रों में 5 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि दर अनुमानित है। किन्तु कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि दर केवल 1.8 प्रतिशत अनुमानित है जोकि कृषि क्षेत्र में गम्भीर समस्याओं की ओर इशारा करती है।

अ व द्वारा जारी अगली टर्न

17.02.2024/1125/av/ag/1

प्रदेश की अर्थव्यवस्था

19. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2022-23 के दौरान दर्ज 6.9 प्रतिशत की तुलना में 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 35 हजार 199 रुपये रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 7 हजार 430 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

विकास बजट

20. वर्ष 2024-25 के लिए राज्य विकास बजट के लिए 9 हजार 990 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। 'अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम' के लिए 2 हजार 516 करोड़ रुपये, 'जनजातीय विकास कार्यक्रम' के लिए 899 करोड़ रुपये तथा 'पिछड़ा क्षेत्र विकास

कार्यक्रम' के लिए 110 करोड़ रुपये व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजनाओं के लिए 5 हजार 280 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित किये गए हैं।

21. प्रदेश के विकास में आ रही चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए योजना विभाग में एक **"Himachal Pradesh Transformation Cell (HPTC)"** की स्थापना की जाएगी। यह Cell स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर best practices के आधार पर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए सुझाव देगा। इसके साथ ही विकास प्रक्रिया की monitoring तथा evaluation के लिए योजना विभाग में **"Sustainable Development Goals Coordination Centre"** की स्थापना की जाएगी। ये दोनों इकाइयां आगामी वित्तीय वर्ष से कार्य करना आरम्भ कर देंगी।

कृषि/Value addition/पशुपालन एवं गौ-संरक्षण

22. अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जोकि प्रदेश की लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। प्रदेश के कृषकों की आय में वृद्धि के लिए हमारी सरकार सदैव ही प्रतिबद्ध रही है।

17.02.2024/1125/av/ag/2

23. मैं प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की 'राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना' के तीसरे चरण में एक नई योजना **"राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना"** की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में, प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को 'जहर मुक्त खेती' के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। जो किसान पहले से ही खेती कर रहे हों उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी किसान इस योजना से जुड़ते रहेंगे तथा गेहूं में यूरिया और 12-32-16 और मक्की में यूरिया खाद का इस्तेमाल न करके गोबर का इस्तेमाल करेंगे उनका अधिकतम 20 क्विंटल प्रति परिवार अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की घोषणा करता हूं। बेरोज़गार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के MSP पर खरीदा

जाएगा। हमारी सरकार द्वारा दिए जाने वाला यह MSP पूरे देश में सबसे अधिक है। प्रदेश में प्राकृतिक तकनीक से लगभग 37 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। हिमाचल को '**आत्मनिर्भर**' बनाने की दिशा में हमारी सरकार का यह एक और प्रयास है। इससे प्राकृतिक खेती करने वालों को एक सुरक्षा चक्र मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोज़गार के लिए प्रेरित होंगे। इससे 15 हजार एकड़ की भूमि को Web Portal के माध्यम से प्राकृतिक खेती भूमि के रूप में certify किया जाएगा। इसके अन्तर्गत 10 नए 'Farmer Producer Organizations (FPOs)' गठित किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 में इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके साथ ही, फेंसिंग के लिए जालीदार बाड़ तथा कांटेदार तार लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये किसानों को सहायता के रूप में व्यय किए जाएंगे। कई बार किसानों की फसल को रात को आवारा पशु खा जाते हैं इसलिए हमने जालीदार बाड़ लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

टी सी द्वारा जारी

17.02.2024/1130/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
माननीय मुख्य मंत्री .... जारी

24. मैं हिमाचल प्रदेश 'कृषि मिशन' के अंतर्गत 3 से 5 साल की अवधि में 2500 कृषि क्लस्टर समूह को समान रूप से विकसित करने की घोषणा करता हूं। इस मिशन के अंतर्गत क्लाइमेट के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में हाई वैल्यू फसल को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कृषकों की आय में काम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।
25. वर्ष 2023 को पूरे विश्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स के रूप में मनाया गया। प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से प्रदेश के किसानों तथा अन्य प्रदेश वासियों को मोटे अनाज की सांस्कृतिक महत्व तथा न्यूट्रीशनल वैल्यू के बारे में सजग किया जाएगा।
26. वर्ष 2024-25 में 'JICA Phase-II Project' के अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी कृषकों के उत्पादन

में प्रोसैसिंग के माध्यम से वैल्यू ऑडिशन का प्रावधान किया जाएगा तथा इन उत्पादों को बेचने के लिए आवश्यक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।

27. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित मंडियों के निर्माण तथा उन्नयन की घोषणा करता हूं :-

- ✓ शिमला जिले में मेहंदली तथा शिलारू तथा कुल्लू जिले में बंदरौल में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा।
- ✓ सिरमौर में पांवटा साहिब, खैरी, घंडूरी और नौराधार, कुल्लू में चोरीबिहाल, पतलीकुहल और खेगसू, मंडी में टकोली और कांगनी, कांगड़ा में जसूर, पासू तथा पालमपुर तथा सोलन में परमाणु, कुनिहार तथा वाकनाघाट मंडियों का उन्नयन किया जाएगा।

28. मंडियों में होने वाली गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए इनकी सभी प्रक्रियाओं की डिजिटाइज के साथ-साथ कृषि उपज मंडी समितियो के यार्डों तथा राज्य कृषि विपिन बोर्ड की कार्यप्रणाली को डिजिटाइज किया जाएगा।

29. किसानों की सुविधा के लिए चैट बोट और ए0आई0 पर आधारित भू अभिलेख हेल्प डैस्क तथा किसानों के डेटाबेस सहित एक वेब आधारित कृषि पोर्टल और मोबाइल एप बनाया जाएगा। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।

30. सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के किसानों को उचित गुणवत्ता की पौध तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके लिए एक सेंटर आफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा जोकि आठ से 10 लाख पौधे एक साल में उपलब्ध करवा सकेगा।

31. हाई इल्ड बीजों की मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरे प्रदेश के सरकारी फॉर्म्स को चरणबद्ध ढंग से पुनर्गठित किया जाएगा। 2024 में कांगड़ा में भट्टू फॉर्म सोलन में बेरटी फार्म तथा सिरमौर भंगाणी फॉर्म को अपग्रेड किया जाएगा तथा इसके माध्यम से उच्च कृषि तकनीक नर्सरी उत्पादन इत्यादि को शोकेस किया जाएगा।

32. मेरी सरकार पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं 1 अप्रैल 2024 से गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्रमशः 38 प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और 47 रुपये प्रति लीटर से 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ौतरी करने की घोषणा करता हूं।

टी0सी0वी0 द्वारा जारी ...

17.02.2024/1135/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
माननीय मुख्य मंत्री .... जारी

यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दूध खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। यह पूरे देश में भी पहली बार हुआ है कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। जब विपक्ष के सदस्य चर्चा में भाग लेंगे तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप किसी और प्रदेश में दूध के मूल्य के बारे में भी जानकारी दें। अभी हमारी सरकार को बने हुए 14 महीने ही हुए हैं। आपकी सारी भावनाओं की कदर की जाएगी। पूरे भारतवर्ष हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला मात्र एक राज्य है। यह बढ़ी हुई राशि दूध की गुणवत्ता के अनुसार दूध उत्पादकों को दी जाएगी। यदि किसान को खुले बाजार में दूध की अधिक कीमत मिलती है तो वह इसे खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा यानी सरकार 55 रुपये प्रति लीटर तक दूध खरीदेगी यदि उसका दूध 60 रुपये प्रति लीटर बाजार में बिकता है तो वह बेच सकता है। गाय का दूध 45 रुपये सरकार खरीदेगी यदि उसको इससे अधिक यदि रेट बाजार में मिलता है तो वह बेच सकता है। बड़े हुए पशुधन से अधिक गोबर उपलब्ध होगा जो प्राकृतिक खेती के काम आएगा। प्राकृतिक तकनीक से उगाई गई गेहूं को सरकार द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा तथा उत्पादन को सरकार द्वारा ही खरीद लिया जाएगा। हम चरणबद्ध तरीके से किसान परिवारों को दूध से एक निश्चित आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं ताकि हम चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा कर सके। वर्ष 2024-25 में इस पर लगभग 150 करोड रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी जिससे इस व्यवस्था को तैयार करने में सहायता मिलेगी।

33. हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन (MILKFED) कामधेनु हितकारी मंच इत्यादि दूध उत्पादन सोसाइटियों से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी द्वारा मार्केट फीस रिवर्स करने में बहुत समय लग जाता है। इससे इन सोसाइटियों का बहुत सारा पैसा कमेटी के पास काफी समय तक पड़ा रहता है। मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से ए0पी0एम0सी0 द्वारा ली जाने वाली फीस माफ की जाएगी इससे इन सोसाइटियों को करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचेगा।

34. मेरा लक्ष्य है कि किसानों और पशुपालकों को न केवल दूध उत्पादन को कॉस्ट बेस प्राइज मिले बल्कि क्वालिटी बोनस भी मिले। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अवधि को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। यह सरकार एवं पशुपालकों के संयुक्त प्रयास से संभव होगा हो पाएगा। प्रदेश के युवाओं में पशुपालन से संबंधित कौशल के विकास के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से नए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

35. "हिमगंगा योजना" के अंतर्गत मैं वर्ष 2024-25 के दौरान कांगड़ा के ढगवार में 1.5 (LLPD) लाख लीटर पर-डे की क्षमता वाले फुली ऑटोमेटिड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट की स्थापना की घोषणा करता हूं। इस प्लांट के लिए इस प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी गई है तथा इसकी क्षमता को बाद में बढ़ाकर 3 लाख लीटर पर-डे कर दिया जाएगा। इस प्लांट में अत्यधिक तकनीक से दूध का पाउडर बनाया जाएगा जिससे मांग से अधिक दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। इसके अतिरिक्त दही, खोया, धी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, प्रोसैस्ड चीज तथा अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही यहां यू0एच0टी0 (अल्ट्रा हीट टेक्नोलॉजी) से पैकेजिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

17-02-2024/1140/एन0एस0-डी0सी0/1

36. 'दत्तनगर मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट' में 50,000 एल0पी0डी0 की क्षमता का एक अतिरिक्त सयंत्र चालू कर दिया जाएगा तथा वर्तमान में विभिन्न जिलों में काम कर रहे दुग्ध सयंत्रों के नवीनीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

37. ऊना तथा हमीरपुर में भी आधुनिकतम तकनीक से 'मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट' स्थापित किए जाएंगे जिन पर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

38. स्थानीय युवाओं को किसानों/कोलैक्शन सैंटर्ज से मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट तक दूध ले जाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान 200 रेफ्रिजरेटिड मिल्क वैन्ज उपलब्ध करवाई जाएंगी।

39. पशुपालकों को उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं सोलन जिला के दाड़लाघाट में 'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र' की स्थापना करने की घोषणा करता हूं जिसकी सहायता से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

40. विशेषज्ञ पशुचिकित्सकों द्वारा गंभीर पशु रोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 44 मोबाईल वेटरिनरी वैन्ज किराए पर ली गई हैं। यह सेवा वर्ष 2024 में पूर्ण रूप से आरंभ कर दी जाएगी। प्रत्येक वैन में एक वेटरिनरी डॉक्टर तथा एक फार्मासिस्ट तैनात होगा। पशुपालक कहीं से भी टोल फ्री नम्बर 1962 पर कॉल करके पशुओं के उपचार की सुविधा या पशुपालन से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

41. 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के तहत ऊना जिला के बसाल में डेनमार्क के तकनीकी सहयोग से 44 करोड़ रुपये की लागत से एक 'उत्कृटता केंद्र' स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक भूमि पशुपालन विभाग के नाम पर हस्तांतरित हो चुकी है।

42. बदलते समय में पशुपालन विभाग के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना की भी आवश्यकता है। अतः विभागीय योजनाओं के युक्तिकरण एवं विभागीय ढांचे के पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। मिल्कफैड के माध्यम से 'नेशनल डेयरी प्लान-॥' के अंतर्गत प्रदेश में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करके उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा।

43. हिमाचल प्रदेश भेड़ बकरी पालकों का भी प्रदेश है। प्रदेश में 8 लाख भेड़ें तथा 11 लाख बकरियां हैं। भेड़ बकरियों के लिए एफ0एम0डी0 वैक्सीन डिवॉर्मिंग दवाइयां तथा अन्य दवाइयों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भेड़ बकरी पालकों की अन्य बड़ी समस्याओं में डिपिंग, ड्रेंचिंग की व्यवस्था में सुधार, ऊन कटाई की व्यवस्था में सुधार, उनके परम्परागत चरानों तथा रास्तों का समाप्त होना, भेड़-बकरी की ऊन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आए बदलाव के कारण ऊन के खरीद मूल्य में भारी गिरावट आदि है। मैं प्रदेश में भेड़ बकरियों के लिए एफ0एम0डी0 वैक्सीनेशन शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए एक नई योजना 'भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना' आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना पर 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।

44. प्रदेश में बढ़ते हुए बेसहारा पशुओं की समस्या की निदान के लिए एक स्टेट लवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जोकि 3 माह के भीतर इन पशुओं को किसानों तथा स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद समीप के गौ-अभ्यारण्यों तथा गौशालाओं में रखने के लिए दिशा निर्देश सुझाएंगे। इसी के साथ गौ-अभ्यारण्यों तथा गौशालाओं के निर्माण तथा रख रखाव से संबंधित सुझाव भी दिए जाएंगे।

45. मैं निजि गौ-सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान 700 रुपये प्रति गौवंश से बढ़ाकर 1200 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। जो निजि संस्थान गौशाला चलाते हैं उनके 1200 रुपये प्रति पशु राशि कर दी है।

कृषि क्षेत्र के लिए कुल 582 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

एन0एस0 द्वारा -------जारी

17-02-2024/1145/एन0एस0-डी0सी0/1

बागवानी

46. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में प्रदेश के बागवानों का बड़ा योगदान रहा है। बागवानों की आय में वृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मैं वर्ष

2024-25 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये की लागत से निम्न विकास कार्य पूर्ण करने की घोषणा करता हूंः-

- 75 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण।
- लगभग 1200 हैक्टेयर क्षेत्र में सब-ट्रोपिकल फलों के हाय डेंसिटी वृक्षों का रोपण कार्य किया जाएगा जिससे 80 कृषक समूहों के लगभग 6,500 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
- 12 करोड़ रुपये की लागत से एक 'बागवानी उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना की जाएगी जोकि गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाजार संबंधित सभी आवश्यकताओं के लिए 'वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर' के रूप में कार्य करेगा।
- राज्य के सब-ट्रोपिकल क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक 'फ्रूट प्रोसैसिंग यूनिट' स्थापित किए जाएंगे।
- 5 करोड़ रुपये की लागत से अमरूद, नींबू तथा अन्य सब-ट्रोपिकल फलों को बढ़ावा देने के लिए मदर ट्रीज /बड वूड बैंक्स के लिए फाउंडेशन ब्लॉक की स्थापना की जाएगी।

47. बागवान भाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2024 के सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग आरंभ कर दिया जाएगा। इस दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु सचिव, कृषि की अध्यक्षता में दिसम्बर 2023 में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है।

48. प्रदेश में हाई रिटर्न फ्रूट जैसे कि ड्रैगन फ्रूट, एवोकोडा, ब्लू बैरी, मैकाडामिया नट इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉ0 वाई0 एस0 परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। इससे प्रदेश के किसानों की आय में शीघ्र एवं निश्चित वृद्धि होगी।

49. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पर्यटकों के बढ़ते हुए रूझान को देखते हुए होर्टिकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रदेश में स्थित बड़े बागों तथा बागों के समूह को ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, उद्यान विभाग,

तथा पर्यटन विभाग के माध्यम से ठोस नीति का निर्धारण किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत इच्छुक बागवानों को आवश्यक ट्रेनिंग तथा अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

बागवानी में कुल 531 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

मत्स्य पालन

50. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लगभग 13,000 मछुआरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मैं निम्न घोषणा करता हूंः-

- 20 हैक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के मछुआरों को 80 प्रतिशत उपदान पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी 100 रुपये में से 80 रुपये सरकार खर्च करेगी।
- जिला हमीरपुर में 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस' के रूप में एक नए 'कार्प फिश फॉर्म' की स्थापना की जाएगी।
- नालागढ़ स्थित 'फिश सीड फार्म' में 5 करोड़ रुपये की लागत से 'Brood Bank' की स्थापना की जाएगी।
- प्रदेश के मछुआरों को मोटर साइकिल, थ्री व्हीलर तथा आईस बोक्सिज उपदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- 10 नए 'बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन' तालाबों तथा 10 नई लघु 'बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन' इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
- 3 नई 'फीड मिल्ज' की स्थापना की जाएगी।
- 2 बर्फ सयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

51. इसके अतिरिक्त प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों में ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 150 नई ट्राउट मछली उत्पादन इकाइयों तथा 2 नई ट्राउट हैचरीज की स्थापना की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजें किसानों की आय बढ़ाने के लिए हैं। चाहे प्राकृतिक खेती, दूध के मूल्य बढ़ाने की बात है, चाहे फिशरी की बात है किसान और बागवान की आय बढ़े, उस दृष्टि से इस सबको जोड़ा गया है।

ऊर्जा/बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं

52. अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भारी वर्षा के कारण अन्य सम्पत्तियों के साथ-साथ लारजी पॉवर हाउस को लगभग 658 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। लारजी पॉवर हाउस के यूनिट नम्बर-I को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है तथा अन्य दो यूनिटों को भी शीघ्र ही रिस्टोर कर दिया जाएगा।

आर0के0एस0 द्वारा -------जारी

17.02.2024/1150/RKS/HK/-1

53. लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित होने वाले 'Himachal Pradesh Power Sector Development Programme' के लिए विश्व बैंक के साथ loan agreement sign कर लिया गया है। इसके माध्यम से Smart Grid Technology की सहायता से प्रदेश के 13 शहरों में 24X7 Power Supply सुनिश्चित करने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा।

54. मैं, हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का पहला 'हरित ऊर्जा' राज्य बनाने के अनुक्रम में तथा प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँः-

* पेखुबेला स्थित 32 मैगावॉट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजैक्ट का शिलान्यास 2 दिसम्बर, 2023 में किया गया था। मैं, इसे मार्च, 2024 तक के अंत तक commission करने की घोषणा करता हूँ।

* ऊना में अघलोर स्थित 10 मैगावॉट क्षमता वाला 'सोलर पावर प्लांट' जून, 2024 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा।

* ऊना के भंजाल में 5 मेगावॉट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजैक्ट का सितम्बर, 2024 तक लोकार्पण कर दिया जाएगा।

* 'राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना' के अन्तर्गत निजि भूमि पर 45 प्रतिशत उपदान पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति लाई जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में, कुल 100 मैगावाट सोलर क्षमता का दोहन सुनिश्चित किया जाएगा।

* निजी भूमि पर स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं का पंजीकरण पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिससे 100 मेगावाट सौर क्षमता का दोहन शीघ्र सम्पन्न हो पाएगा।

* प्रदेश के बाल एवम बालिका आश्रमों तथा वृद्ध आश्रमों और 'Rajiv Gandhi Model Day Boarding Schools' में ग्रिड से जुड़े 'Roof Top Solar Plant' और Water Heating System स्थापित किये जाएंगे।

17.02.2024/1150/RKS/HK/-2

* सभी सरकारी भवनों के connected load के कम से कम 20 प्रतिशत की आपूर्ति ग्रिड से जुड़े 'Roof Top Solar Plant' के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से करना अनिवार्य किया जाएगा।

* सोलन, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को NOC प्राप्त करने के लिए नए भवनों में 'Solar Water Heating System' लगाना अनिवार्य किया जाएगा तथा इन निगमों में स्थित सरकारी भवनों की छत पर चरणबद्ध तरीके से 'Solar Plant' लगाने होंगे।

*ऊना, काँगड़ा, सोलन, सिरमौर, मण्डी और शिमला जिलों में 501 मेगावाट की क्षमता वाले 5 और पार्क और 212 मेगावाट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

55. लगभग 1 हजार 885 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेशभर में Re-vamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के माध्यम से Aggregate Technical and Commercial (AT&C) Losses को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना का

कार्यान्वयन किया जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के साथ-साथ Distribution Sector की Financial Sustainability भी बढ़ेगी।

56. बिजली उत्पादन के साथ-साथ एक Efficient Transmission and Distribution Network होना समय की आवश्यकता है ताकि न केवल प्रदेश की जनता की बिजली की मांग को पूरा किया जा सके बल्कि surplus उत्पादन को उचित समय पर अन्य राज्यों को भी पहुंचाया जा सके। इसको और सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 96 करोड़ रुपये की लागत से चार transmission lines तथा 290 करोड़ रुपये की लागत से 6 Extra High Voltage (EHV) sub-station पूरे किये जाएंगे।

57. प्रदेश में स्थित transmission assets को National Grid से 'Central Transmission Utility System' के माध्यम से जोड़ा गया है। इसकी निरंतर monitoring के लिए कुनिहार में बन रहे 'Joint Control Centre (JCC)' तथा कांगड़ा के दैहन में sub-station के निर्माण का कार्य वर्ष 2024-25 में पूरा कर लिया जाएगा। इससे transmission lines के शीघ्र रख-रखाव में भी सुविधा होगी।

17.02.2024/1150/RKS/HK/-3

<u>पर्यटन</u>

58. अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। इसी क्रम में, 7 जुलाई, 2023 को कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए Section 11 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए Rehablitation and Resettlement (R&R) Plan को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा और भू-अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त WAPCOS Ltd. द्वारा तैयार की गई मण्डी हवाई अड्डे की DPR का परीक्षण किया जा रहा है।

59. प्रदेश में कुल 16 प्रस्तावित Heliports में से प्रथम चरण में 9 Heliports क्रमशः हमीरपुर में जसकोट; कांगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर, चम्बा में सुल्तानपुर, कुल्लू में आलू ग्राउंड, मनाली, किन्नौर में शारबो, तथा लाहौल-स्पिति में जिस्पा, सिस्सू और रांगरिक में विकसित किये जाएंगे। इन 9 Heliports की feasibility study reports प्राप्त हो चुकी हैं, रक्कड़, सुल्तानपुर और पालमपुर का Obstacle Limitation Survey (OLS) हो चुका है

और इनकी DPRs शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएंगी। रक्कड़ और पालमपुर का architectural design प्राप्त हो चुका है। 13 करोड़ रुपये प्रति हेलीपोर्ट की लागत से रक्कड़, पालमपुर, रिकॉग-पिओ, चम्बा में Heliports का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। दूसरे चरण में, चम्बा के पांगी और होली, बिलासपुर के औहर, सिरमौर के धारकियारी, शिमला के चांशल धार, ऊना के जनकौर हर तथा सोलन के गलानाग में हेलीपोर्ट निर्मित किये जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के माध्यम से 'पवन हंस लिमिटिड' से आवश्यक सहायता ली जाएगी।

आर.के.एस. द्वारा जारी

17.02.2024/1155/RKS/HK/-1

60. पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में बढ़ते हुए स्वदेश दर्शन-2 के अन्तर्गत पौंग डैम के विकास और प्रबन्धन के लिए एक master plan तैयार किया गया है। इसके साथ ही निम्न 5 Tourist Destinations को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगाः-

> लाहौल-स्पिति में चंद्रताल, काज़ा और तांदी।

> किन्नौर में रकछम और नाको-चांगो-खाब ।

61. मैं कुफरी के नजदीक हसन घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल पर एक sky walk bridge के निर्माण करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

62. पर्यटकों को प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित सभी Home Stay Units को 'Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act' के अधीन लाया जाएगा जिससे इनके संचालन में सुधार और गुणवत्ता लाई जा सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा

63. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कैंसर के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या चिन्ता का विषय है। प्रदेश में कैंसर की रोकथाम तथा उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी

होगी। मैं, 'Dr. Radhakrishnan Medical College, Hamirpur' में 100 करोड़ रुपये की लागत से State of the Art facilities के साथ "State Cancer Institute" की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। Indian Council of Medical Research (ICMR) की सहायता से प्रदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारणों का पता भी लगाया जाएगा।

64. कैंसर पीड़ित मरीजों को प्रदेश में ही chemotherapy तथा Palliative Care की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित 'आदर्श स्वास्थ्य केन्द्रों' पर "Cancer Day Care Centres" की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों में chemotherapy ले रहे सभी मरीजों के लिए beds का प्रावधान होगा तथा

17.02.2024/1155/RKS/HK/-2

chemotherapy दवाओं को राज्य आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित किया जाएगा ताकि मरीजों को chemotherapy के लिए अधिक पैसा व्यय न करना पड़े।

65. Indira Gandhi Medical College, Shimla में कैंसर पीड़ित रोगियों के Advanced Radio Therapy तकनीक से उपचार के लिए 21 करोड़ रुपये की लागत से एक LINAC (Linear Accelerator) Machine स्थापित की जाएगी।

66. पिछले बजट में घोषित 69 आदर्श स्वास्थ्य केंन्द्रों पर कार्य विभिन्न चरणों में है तथा इनमें से अधिकांश का कार्य वर्ष 2024-25 में पूरा कर दिया जाएगा तथा इसी वर्ष Machinery and Equipment की व्यवस्था करने के लिए 1 करोड़ रुपये प्रति केन्द्र उपलब्ध करवाए जाएंगे।

67. पिछले कई वर्षों से 'PGI Satellite Centre, Una' में चल रहे सभी कार्यों को गति देने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वार किए गए प्रयासों से पिछले कई वर्षों से लम्बित environmental clearance दिलवायी गई। इसमें शुरू किये सभी कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा।

68. प्रथम चरण में प्रदेश के 53 स्वास्थ्य संस्थानों में 'Hospital Management Information Service (HMIS)' की स्थापना की जाएगी। इससे मरीजों को उनके digital

record के आधार पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। इस क्रम में, लगभग 57 लाख प्रदेशवासियों का 'Aayushman Bharat Health Account (ABHA) IDs' बनाया जा चुका है तथा शीघ्र ही सभी पात्र प्रदेशवासियों का ABHA ID बना दिया जाएगा। यानी कि 75 लाख की आबादी में 57 लाख का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा चुका है।

बी.एस. द्वारा जारी

17.02.2024/1200/बी.एस./वाई के/-1

इसको 75 लाख की आबादी के लिए बना दिया जाएगा।

69. प्रदेश में Scrub Typhus के बढ़ते हुए मामलों के दृष्टिगत मैं 1 करोंड़ रुपये की लागत से "**State Level Scrub Typhus Research Unit**" स्थापित करने की घोषणा करता हूं।

70. Dr. Rajender Prasad Government Medical College, Tanda और Kamla Nehru Hospital, Shimla में नवजात शिशुओं स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए शिशुओं तथा जच्चाओं के लिए 'Lactation Management Centers' स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के जिन स्वास्थ्य संस्थानों में X-Ray की सुविधा नहीं है, वहां के निवासियों की सुविधा के लिए private practitioners के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

71. वर्ष 2026 के अंत तक प्रत्येक जिले में सभी टैस्ट सुविधाओं से एक 'Integrated Public Health Lab' की स्थापना की जाएगी।

72 पिछले बजट में घोषित नाहन, चम्बा और हमीरपुर में नए नर्सिंग कॉलेजों में निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके साथ ही Dr. Rajendra Prasad Medical College, Tanda में General Nursing and Midwifery (GNM) स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तरोन्नत किया जाएगा।

73 बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, पावंटा और ऊना क्षेत्रों में कार्य प्रवासी कामगारों की health screening के लिए एक 'Guest Worker Screening Project' आरंभ किया जाएगा।

74 पिछली सभी सरकारों ने प्रदेश वासियों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं आरंभ की हैं। ऐसी योजनाओं में से "हिमकेयर" तथा "सहारा" वर्ष 2019 में शुरू की गई और इनका लाभ भी जन साधारण तक पहुंचा है। किन्तु इससे संबंधित emperical data के analysis के बाद इनके कार्यान्वयन में कुछ structural तथा operational समस्याएं उजागर हुई हैं। इनमें से प्रमुख समस्या कि convergence और technology की application के अभाव में कुछ योजनाओं में duplication हो रही है। मैं राष्ट्रीय स्तर के domain experts की सहायता से इन कमियों को दूर करके कुछ आवश्यक सुधार करने की घोषणा करता हूं। ताकि जरूरतमंद लोगों को उचित समय पर इन

17.02.2024/1200/बी.एस./वाई के/-2

योजनाओं का लाभ मिल सके। तब तक इन दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन यथावत होता रहेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 3,415 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

गुणात्मक शिक्षा

75. अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उनका पालन-पोषण करेंगे वही देश का भविष्य तय करेगा। यह कथन आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि आज पूरी दुनियां में तकनीक के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं उनकी गति और उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। तेजी से बदलती इस नई दुनियां में एक अनिश्चित भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करने में शिक्षा व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

76. यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था समावेशी समानतापूर्ण future-oriented, नई तकनीक के प्रति सजग और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो। हमें प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा। भारत के संविधान में हम भारत के

लोगों ने अपने लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उद्देश्य तय किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य इस पावन भावना के अनुरूप विभिन्नता में एकता एवं बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना है।

77. मेरी सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे संविधान की मूल भावना के अनुरूप एक स्वस्थ जीवन दृष्टि विकसित करें तथा मूलभूल शाक्षरता तथा संख्याः ज्ञान से लेकर कृत्रिम (Artifical Intelligence) के प्रयोग तक हर कौशल में सर्वश्रेष्ठ बनें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार आरंभ किए हैं।

78. प्राथमिक, प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का सांझा प्रयोग आज की आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रदेश में क्लस्टर प्रणाली आरंभ की गई है। इसके साकारात्मक परिणम आ रहे हैं तथा इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इन संस्थानों में उचित गुणवत्ता और size के class-rooms, smart class-rooms with smart boards, audio-visual teaching aids, learning software, proper seating arrangements; full strength of teachers, playgruound, clean toilets के साथ-साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

17.02.2024/1205/बी.एस./वाई के/-1

मुख्य मंत्री जारी...

79. आज के ग्लोबल विश्व में यह अनिवार्य शर्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी विश्व की नवीनतम तकनीक से घर बैठे जुड़ सकें तथा आने वाले समय में दुनियां में कहीं भी अपनी क्षमता के आधार पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अग्रेंजी माध्यम का विकल्प दिया है। विभिन्न शोध यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भाषाएं सीखने का सबसे अच्छा समय 12 वर्ष की आयु तक होता है। अतः पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प समय की मांग है इस निर्णय से प्रदेश के सभी बच्चों को और विशेष रूप से गांव के बच्चों को लाभ होगा।

80. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुरूप प्रदेश में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें तीन साल का प्री-स्कूल 'बाल वाटिका' पाठ्यक्रम भी शामिल होगा। प्रदेश में अभी छह हजार से अधिक प्राथमिक पाठशालाओं में प्री-स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार नर्सरी टीचर्ज नियुक्त किए जाएंगे। पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नर्सरी अध्यापक बनने का अवसर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें पूरा ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुसार कम-से-कम छह वर्ष की आयु तय की गई है और प्री-प्राईमरी की तीन कक्षाओं में प्रवेश के लिए क्रमशः तीन, चार और पांच वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है।

81. पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार 'Instiution of Excellecne (IOE)' के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में, 850 शिक्षा संस्थानों को 'IOE' बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 500 प्राइमरी स्कूल, 100 हाई स्कूल, 200 सीनियर सेकेन्डरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूमज तथा अन्य सुवधिाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन संस्थानों का periodic मूल्यांकन करवाया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों कॉलेज के प्रींसिपल/हैडमास्टर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकें इसके लिए स्कूल/कॉलेज लीडरशिप प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

17.02.2024/1205/बी.एस./वाई के/-2

82. स्कूलों और समाज के बीच बेहतर तालमेल के लिए तथा समुदाय भागीदारी बढ़ाने के लिए 'अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान' योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसमें, जहां एक ओर मुख्य मंत्री से लेकर खंड स्तरीय अधिकारीयों तक सभी विधायक तक सभी एक-एक संस्थान को गोद लेंगे। वहीं दूसरी और समुदाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसमें पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। यानी कोई भी विधायक एक स्कूल को गोद ले सकता है और अधिकारी भी।

83. प्रत्येक उप-मण्डल में उप-मण्डलाधिकारियों को सभी primary schools का महीने में एक दिन बारी-बारी से अनिवार्य रूप से रिव्यू मीटिंग का आयोजन करना होगा। इस बैठक में उस स्कूल में न केवल विद्यार्थीयों बल्कि अध्यापकों की performance का भी रिव्यू किया जाएगा। अभिवावकों के साथ भी इसी बैठक में संवाद किया जाएगा। इसी बैठक में स्कूल के रख-रखाव के बारे में भी उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

84. प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थानों में वार्षिक रैंकिंग और उनके लिए Performance Based Grant की व्यवस्था की शुरूआत की जाएगी। इस सारी व्यवस्था को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित किया जाएगा तथा इसे आम जनता तथा अभिवावकों से भी सांझा किया जाएगा। जिसके लिए एक website बनाई जाएगी।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी....

17.02.2024/1210/डीटी/एन0जी0/1

85. शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। अभी तक लिए गए निर्णयों में, वर्ष में कुल अध्यापन दिवस बढ़ाना, खेल एवम् सांस्कृतिक गतिविधियों का निश्चित समय तय करना, शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्यों में निरन्तर कमी करना, Mid Day Meal में रिकॉर्ड की औपचारिकताओं को कम करना शामिल हैं। अध्यापकों को विद्यालयों में भवन निर्माण कार्यों से अलग रखने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं। एक ही सूचना को बार-बार मंगवाए जाने की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। यह भी देखा गया है कि आमतौर पर हर स्कूल का एक अध्यापक लगभग नियमित रूप से डाक लेकर स्कूल से अनुपस्थित रहता था इस व्यवस्था पर भी पूर्णतः रोक लगाई गई है। अध्यापकों और बच्चों में अपने विद्यालय के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो, इसके लिए विद्यालयों को अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए अपनी पसंद की वर्दी चुनने का अधिकार भी दिया गया है। आगामी वर्ष में शिक्षा में बेहतरी के लिए प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर की प्रक्रियाओं, संरचना और नियमावली का पूर्ण परीक्षण करके आवश्यक बदलाव लाया जाएगा।

अभी तो इरादों का इम्तिहां बाकी है,
अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन,
अभी तोलना आसमां बाकी है।

यह बजट आत्मनिर्भर हिमाचल और हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लायेगा। इस बजट को आप आराम से पढ़िए और समझिए, आप भी यह महसूस करेंगे की यह महत्वपूर्ण बदलाव व्यवस्था परिवर्तन में जरूरी है।

86. पढ़ने-पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में वर्ष 2024-25 में "पढ़ो हिमाचल" के नाम से एक व्यापक जन अभियान प्रारम्भ किया जाएगा। इस अभियान में विद्यालयों के साथ-साथ ग्रामीण एवम् शहरी जन समुदाय को भी जोड़ा जाएगा। इसी अभियान के तहत प्रदेश के 500 शिक्षण संस्थानों में सामान्य पाठकों और विशेष रूप से युवाओं के लिए Reading Room बनाए जाएंगे तथा इन्हीं शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों के चलाने में आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा।

17.02.2024/1210/डीटी/एन0जी0/2

87. मैं, प्रत्येक जिला व उपमण्डल मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर एक आधुनिकतम सुविधाओं सहित पुस्तकालय तथा वाचनालय बनाने की घोषणा करता हूँ। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में, पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण करके इनमें पुस्तकें तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिस पर 88 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी...

17.02.2024/1215/डीटी/ए0जी0/1

88. शिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों का मुख्य योगदान है। अतः अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक result oriented बनाने के लिए District Institute of Education Training (DIETs) तथा State Council of Educational Research (SCERT) के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसी तरह

प्रदेश में State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT) का पुनर्गठन करके इसे क्रियाशील किया जाएगा।

89. जिन स्थानों पर छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग स्कूल अथवा महाविद्यालय चल रहे हों, स्थानीय निवासियों की मांग पर आवश्यकतानुसार उन दोनों को मिलाकर एक co-education शैक्षणिक संस्थान चलाने की शुरूआत की जाएगी। इससे छात्र व छात्राओं के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ उनका मनोवैज्ञानिक विकास होगा तथा व्यक्तित्व उभरेगा। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक शिक्षा विद्यालय न हो, वहाँ के बच्चों को नजदीक के स्कूल तक लाने और वापिस घर छोड़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

90. अध्यक्ष महोदय, एक अनुमान के अनुसार जल जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत को 49 अरब 78 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत के दो तिहाई जिले पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बच्चों को पीने के लिए साफ पानी मिले इसके लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा तथा सरकारी स्कूलों के 8 लाख 50 हज़ार से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवम् स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ।

91. प्रदेश में पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम का संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का समावेश भी किया जाएगा। इसके लिए पाँचवी कक्षा से हिमाचल के इतिहास एवम् संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, basic hygiene तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। सभी विद्यालयों में खेलों तथा व्यायाम के प्रतिदिन कम से कम एक period अनिवार्य किया जाएगा। आवश्यकतानुसार Physical Education Teachers की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

17.02.2024/1215/डीटी/ए0जी0/2

92. 500 बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वयं सहायता समूहों को Mid Day Meal के अन्तर्गत भोजन बनाने और परोसने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

93. National Assessment and Accreditation Council (NAAC) उच्च शिक्षा में प्रदेश की स्थिति को जाँचने एवम् इसमें किये जा रहे प्रयासों को आँकने का एक अच्छा माध्यम है। 2024-25 में NAAC Accreditation के लिए प्रदेश के सभी पात्र कॉलेजों द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी।

94. 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को वित्त पोषण के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1 हजार 52 करोड़ रुपये तथा STARS Project के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त PM USHA के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तथा PM SHRI के तहत 477 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है। मुझे आशा है कि भारत सरकार इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी।

95. पिछली सरकार ने प्रदेश में तीन स्थानों पर 'अटल आदर्श विद्यालय' बनाने प्रारम्भ किये हैं। मेरी सरकार इन्हें पूरा करने के लिए न केवल आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी बल्कि इन्हें क्रियाशील भी करेगी। 'राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों' तथा 'अटल आदर्श विद्यालयों' के लिए कर्मचारियों का एक विशेष संवर्ग बनाया जाएगा तथा इन्हें अर्न्तराष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं, प्रथम चरण में, प्रदेश में पाँच राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों क्रमशः लाहडू और नगरोटा बगवां (कांगड़ा), अमलेहड़ और भोरंज (हमीरपुर), तथा संगनाई (ऊना) का निर्माण कार्य आरंभ करने की घोषणा करता हूं।

शिक्षा क्षेत्र में कुल 9 हजार 560 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

96. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवम् स्वरोजगार अवसरों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से market demand के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। मैं इसी अनुक्रम में निम्न घोषणाएं करता हूँः-

17.02.2024/1215/डीटी/ए0जी0/3

• राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नगरोटा बगवां में Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) में B.Tech और डिप्लोमा कोर्स शुरू किये जाएंगे।

• राजकीय बहुतकनीकी, सुन्दरनगर में Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा।

• राजकीय बहुतकनीकी, हमीरपुर तथा तलवाड़ में Computer Engineering and IOT में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा।

• अटल वाजपेयी बिहारी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रगतिनगर में Civil Engineering के B.Tech और डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किये जाएंगे।

• राजकीय बहुतकनीकी, जण्डौर में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षाएं आरम्भ कर दी जाएंगी।

एन0जी0द्वारा जारी...

17-02-2024/1220-1225/ए.एस.-एन.जी/1

97. श्रम विभाग की EEMIS पोर्टल पर अभी तक 448 employers को जोड़ा जा चुका है। इसमें निजी क्षेत्र के और employers को जोड़ा जाएगा तथा इसके माध्यम से 2024-25 में 180 campus interviews आयोजित किये जाएंगे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2024 के अंत तक इस क्षेत्र के 20 लाख 87 हज़ार कामगारों को पंजीकृत

करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त श्रम एवम् रोज़गार विभाग की रोज़गार पंजीकरण पोर्टल को Common Service Centers (CSCs) के साथ भी link किया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा इन केन्द्रों के माध्यम से पंजीकरण करवा सकें।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कुल 330 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

98. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा transgender पेंशन के 7 लाख 84 हज़ार लाभार्थियों के लिए लगभग 1 हजार 260 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 40 हज़ार नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास एवं कमजोर वर्गों को कल्याण

99. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अभी तक दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं है। मैं प्रदेश में दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कण्डाघाट में एक **"Centre of Excellence for Education of Divyangjans"** की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। **'Institute for Children with Special Disabilities (ICSA, Dhalli)'** को भी इस केन्द्र में स्थानान्तरित किया जाएगा।

17-02-2024/1220-1225/ए.एस.-एन.जी/2

इस केन्द्र में 0-27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें रहने के लिए किराये के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

100. प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कण्डाघाट में एक **"आदर्श नशा निवारण केन्द्र"** की स्थापना की जाएगी।

इस केन्द्र में पुस्तकालय, जिम, indoor तथा outdoor खेलों इत्यादि की सुविधा देने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह केन्द्र सड़क से जुड़ा हो तथा कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सिविल अस्पताल इस केन्द्र के आसपास हो जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ-साथ सम्बन्धित परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रदेश के युवाओं तथा अन्य हितधारकों की जागरूकता के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उपमण्डल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक 'effective monitoring and reporting system' की स्थापना की जाएगी। अभी प्रदेश में नशा निवारण केन्द्र तो बहुत हैं लेकिन वे मकानों व बंद कमरों में चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यदि किसी के नशे की लत को छुड़वाना है तो उसके लिए ओपन स्पेस की भी आवश्यकता होती है और वहां पर खेलने की भी सुविधा होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कण्डाघाट में प्रदेश का पहला ऐसा नशा निवारण केन्द्र का बनाने जा रहे हैं जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

101. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है तथा इनके माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों को समय पर उचित सुविधाएं पहुंचाने के लिए हमारी सरकार सदा से ही प्रयत्नशील रही है। मैं एक नई योजना "**मुख्य मन्त्री सुख आरोग्य योजना**" आरम्भ करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे कृषकों एवम् वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों अथवा कोई पेंशन न ले रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

श्री एन.जी. द्वारा जारी.....

17-02-2024/1220-1225/ए.एस.-एन.जी/3

102. इसके साथ ही मैं एक नई योजना "**मुख्य मन्त्री सुख-शिक्षा योजना**" आरम्भ करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो, की शिक्षा

पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को medical college, engineering college, NIT, IIM, IIT, Nursing, graduation/post-graduation पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता-पिता के सभी पात्र बच्चों के RD खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1 हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। इसके साथ ही सभी पात्र महिलाओं के स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस पर लगभग 41 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

यहां मैं कहना चाहता हूं कि :-

दुनिया में कुछ ही लोग बदलाव लाते हैं,
बाकी सब तो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं।

103. सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि 'जिला विकास समिति' की बैठक समय पर न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित जिला के उपायुक्त को इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न लाभार्थियों को दिये जाने वाले लाभों को स्वीकृत करने की शक्तियां दी जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में दी गई स्वीकृतियों पर जिला कल्याण समिति की होने वाली आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

17-02-2024/1220-1225/ए.एस.-एन.जी/4

104. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित लाभार्थियों के लिए चलाए जा रहे Post-Graduate Diploma in Computer Application तथा Diploma in Computer Application Courses में बाज़ार मांग के अनुरूप GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, Auto- CAD

इत्यादि नए Courses को सम्मिलित किया जाएगा ताकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को उचित रोज़गार प्राप्त हो सके।

सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल, एवम् अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2 हजार 457 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

खाद्य सुरक्षा

105. अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक वर्षा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार द्वारा आपदा पीड़ित परिवारों के लिए तुरंत प्रभाव से राशन, LPG गैस connections तथा सिलेंडर बिना किसी दाम के उपलब्ध करवाए गए। हमारी सरकार द्वारा की गई यह छोटी सी सहायता पीड़ित परिवारों के लिए संकट के समय में एक बड़ा सहारा बनी।

106. राशन डिपो के माध्यम से Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) के मानदंडों के अनुसार विटामिन 'A' और 'D' से fortified सरसों का तेल और रिफाइंड तेल दिया जा रहा है। अभी तक यह तेल उपभोक्ताओं को राशन डिपो से सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। शादी-विवाह, त्यौहार व अन्य समारोहों में उपभोक्ताओं को यह तेल खुले बाजार से ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता है। मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल, 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन डिपो से यह तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को लगभग 100 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

17-02-2024/1220-1225/ए.एस.-एन.जी/5

107. Public Distribution System को और सुदृढ़ बनाने के लिए Integrated Management of Public Distribution System (IMPDS) को upgrade किया जाएगा तथा 'One Nation - One Ration Card (ONORC)' के अन्तर्गत National Portability को और सुदृढ़ किया जाएगा। इससे 'National Food Security Act (NFSA)' के प्रावधानों के अनुसार राशन वितरण को पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। इसी के अन्तर्गत Web आधारित KYC का प्रावधान किया जाएगा जिससे Inter State Portability के तहत

लाभार्थियों को इस योजना के लाभ किसी भी राज्य में मिल सकेंगे। मिलों से आवंटित आटे की गोदामवार निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य उपदान के लिए कुल 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये जाएंगे।

पैरा संख्या-108...श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

17.02.2024/1230/केएस/डीसी/1

पंचायती राज व ग्रामीण विकास

108. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष घोषित प्रत्येक ब्लॉक में निर्मित किये जा रहे 'Plastic Waste Management Units (PWMU)' को वर्ष 2024-25 में operationalize कर दिया जाएगा। इनके operations में backward और forward linkages सुनिश्चित की जाएगी ताकि इनका लाभ अन्य क्षेत्रों तथा समुदायों को भी मिल सके।

109. सभी जिलों में एक मॉडल पंचायत के लक्ष्य को पूरा करने के बाद इस मॉडल को convergence के माध्यम से अन्य पंचायतों में चरणबद्ध ढंग से replicate किया जाएगा।

110. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में 5 हज़ार अतिरिक्त गाँवों को ODF+ (Open Defecation Free Plus) declare करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त भूमि उपलब्धता के आधार पर कम से कम 4 sites पर Faecal Sludge Management Plants स्थापित किये जाएंगे।

111. वर्ष 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन समूहों को लगभग 32 करोड़ रुपये की धनराशि Revolving Fund तथा Community Investment Fund के रूप में देने के साथ-साथ इन्हें लगभग 50 करोड़ रुपये का ऋण देने का भी लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों पर लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

112. सभी पंचायतों के accounts e-Gram Swaraj Software Application से जोड़ दिये गए हैं। इसके माध्यम से सभी पंचायतों के संसाधनों तथा व्यय की monitoring के लिए इस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा।

113. वर्ष 2024-25 में पंचायती राज संस्थानों के लिए 352 करोड़ रुपये 15वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप तथा 448 करोड़ रुपये छठे राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के आधार पर व्यय किए जाएंगे।

17.02.2024/1230/केएस/डीसी/2

114. पूर्व की UPA सरकार द्वारा आरम्भ किया गया 'महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा)' ग्रामीण बेरोज़गारों के लिए एक वरदान साबित हुआ हैं। मनरेगा कामगार इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त करने के साथ-साथ public assets बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी वर्तमान 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश सरकार मनरेगा कामगारों को 76 रुपये प्रतिदिन अपने संसाधनों से देगी।

अध्यक्ष जी, इस पर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं किः

रुकना हो अगर तो सौ बहाने,
जाना हो तो रास्ते बड़े हैं।

मतलब अगर कोई योजना लागू ना करनी हो तो बहाने बहुत हैं।

हिमाचल प्रदेश में यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है जोकि आज से पहले नहीं की गई। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को "आत्मनिर्भरता" की ओर ले जाने में गति मिलेगी। इसी के साथ, ऐसी "विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार" जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो तथा वर्ष में 100 दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हों, को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी बशर्ते कि यह सहायता किसी और कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त न हुई हो। यानि 60 रुपये भी बढ़ाए और

जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम होगी उसको 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

115. मैं, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की सहर्ष निम्न घोषणाएं करता हूँः-

अध्यक्ष, जिला परिषद को 4,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

17.02.2024/1230/केएस/डीसी/3

सदस्य, जिला परिषद को 1,300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

अध्यक्ष, पंचायत समिति को 1,900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 11,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

17.02.2024/1235/केएस/डीसी/1

सदस्य, पंचायत समिति को 1,200 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

प्रधान, ग्राम पंचायत को 1,200 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उप-प्रधान, ग्राम पंचायत को 800 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

सदस्य, ग्राम पंचायत को 250 रुपये बढ़ौतरी के साथ 750 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए कुल 2 हजार 356 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

शहरी विकास

116. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 से घर बनाने के लिए नक्शों की स्वीकृति AUTODCR के माध्यम से एक सिंगल पोर्टल पर प्रदान की जाएगी। यदि घर का नक्शा इस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कोई भी कमी पाई जाती है तो आवेदक उसे ऑनलाइन देखकर ही आवश्यक दस्तावेज़ जमा करवा पाएंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से private professionals 500 वर्गमीटर तक के आवासीय नक्शों की अनुमति भी दे पाएंगे।

117. मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँः-

17.02.2024/1235/केएस/डीसी/2

महापौर, नगर निगम को 4,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उप-महापौर, नगर निगम को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

काउंसलर, नगर निगम को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

अध्यक्ष, नगर परिषद को 1,700 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

पार्षद, नगर परिषद को 700 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

प्रधान, नगर पंचायत को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उप-प्रधान, नगर पंचायत को 1,100 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,600 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

सदस्य, नगर पंचायत को 700 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

118. शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबन्धन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य स्तर पर शहरी विकास निदेशालय में एक पर्यावरण cell की स्थापना की जाएगी।

119. शहरी निकायों के कार्य में सुधार तथा आम जनता की सुविधा के लिए शहरी निकायों की कार्यप्रणाली को digitalize किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर एक

17.02.2024/1235/केएस/डीसी/3

'State Project Monitoring Unit' की स्थापना की जाएगी जोकि experts के माध्यम से शहरी निकायों की कार्यप्रणाली की Online Planning, Implementation, Monitoring तथा Reporting में सहायक सिद्ध होगी। इसी पहल के अन्तर्गत शहरी निकायों में विभिन्न शुल्क एवम् टैक्स ऑनलाइन इकट्ठे किये जा सकेंगे तथा विभिन्न certificate एवम् NOC ऑनलाइन जारी किये जा सकेंगे। इसी के अन्तर्गत शहरी निकायों के accounts को digitize किया जाएगा। AGISAC की सहायता से सभी शहरी निकायों में परिसम्पत्तियों की GIS mapping की जाएगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.02.2024/1240/av/hk/1

आवासीय सुविधा

120. अध्यक्ष महोदय, मैं वाल्मीकि समाज के भाइयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना **"महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना"** आरम्भ करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारियों जिनकी वार्षिक आय अढाई लाख रुपये से कम हो तथा उनके पास अपना घर न हो, को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

121. मैं 'मुख्य मन्त्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना' के अन्तर्गत ऐसे सभी लाभार्थियों, जिनकी वार्षिक आय अढाई लाख रुपये से कम हो, को गृह निर्माण के लिए दी जा रही डेढ़ लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूं। जितनी भी विधवाएं हैं उनको घर बनाने के लिए मुख्य मन्त्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत जो डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जा रही थी वह अब 3 लाख रुपये दी जाएगी। उसके लिए उनकी आय सीमा भी निर्धारित की गई है जोकि 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

असर है यह हमारी दस्तकों का।
जहां दीवार थी, दर हो गया।

हमारी सरकार ने नये रास्ते बनाए हैं। बदलते समय के मुताबिक काम शुरू किए, बाधाओं को खत्म कर दिया और जहां दीवार नज़र आती थी वहां आपके लिए दरवाजा बन गया है।

122. नगर निगम धर्मशाला, सोलन, शिमला और नगर परिषद् नालागढ़ और परवाणू में Economically Weaker Sections (EWS)/slum dwellers से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों को मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ0बी0सी0 वर्ग तथा विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जल शक्ति

123. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जीवन मिशन तथा NDB और ADB के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2024-25 में किन्नौर, चम्बा और लाहौल व स्पिति में 29 करोड़ रुपये की लागत से 4 Antifreeze पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। New Development Bank (NDB) के माध्यम से 24 तथा Asian Development Bank (ADB) के माध्यम से 186 पेयजल योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं तथा इन्हें तय समय-सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों के माध्यम से 20 हजार 663 परिवार Partially Covered (PC) Schemes से लाभान्वित होंगे तथा 79 हजार 282 परिवार Functional Household Tap Connection (FHTC) से लाभान्वित होंगे।

124. शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजना आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से मैं वर्ष 2024-25 के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं :-

- 4 शहरों क्रमशः ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ-पपरोला तथा नेरचौक में 135 Litres Per Capita Per Day (LPCD) की क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा।

- इसी प्रकार अंब और भुंतर के लिए 33 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि वर्ष 2024-25 के अंत तक इनका कार्य पूरा हो जाए।

- 112 करोड़ रुपये की लागत से नाहन, अर्की, निरमंड, पालमपुर तथा जोगिन्द्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा।

- मेरे पिछले बजट में घोषित 24X7 पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में रामपुर में वार्ड नं0 6 और 7, नालागढ़ और चम्बा में पेयजल योजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा अन्य 9 शहरों में इन कार्यों को शीघ्र आरम्भ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अ व द्वारा जारी अगली टर्न

17.02.2024/1245/av/hk/1

125. हिमाचल प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मेरे द्वारा की गई घोषणा को पूरा किया गया है तथा स्थानीय महिलाओं की भागीदारी से Village Water and Sanitation Committees का गठन करने के बाद महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 69 Testing Labs स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें से 62 की accreditation, National Accreditation Board for Testing and Calibration द्वारा की जा चुकी हैं। वर्ष 2024-25 में इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को स्वच्छ एवं कीटाणु रहित पेयजल उपलब्ध हो सके।

126. पिछले बजट में घोषित SoP के अनुसार पेयजल योजनाओं तथा STP में UV System लगाने के लिए 37 ऐसी sites की पहचान की गई है जहां जल स्त्रोतों में या तो contamination है या इसकी सम्भावना है। इन sites पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से UV System लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

127. गगरेट, डलहौजी, चुवाड़ी, रिवाल्सर, भोटा, संतोखगढ़, बैजनाथ-पपरोला और नेरचौक में Sewerage परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को गति दी जाएगी तथा उन्हें वर्ष 2024-25 में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। राजगढ़, बंजार, चौपाल, नेरवा तथा शाहपुर में Sewerage परियोजनाओं के निर्माण का कार्य वर्ष 2024-25 में पूरा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त NABARD द्वारा स्वीकृत 16 ग्रामीण क्षेत्रों में Sewerage परियोजनाओं के निर्माण के कार्यों को वर्ष 2024-25 में ही अवार्ड कर दिया जाएगा। AFD द्वारा 817 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत मनाली, पालमपुर, नाहन, करसोग तथा बिलासपुर के लिए Sewerage Treatment Plants (STP)/Waste Treatment Plants (WTP) और मनाली के लिए पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इनमें से मनाली Sewerage Network का कार्य प्रगति पर है तथा शेष कार्यों को भी शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा।

128. 380 करोड़ रुपये की लागत से 14 Surface Minor Irrigation Schemes (SMISS) का कार्य विभिन्न चरणों में है। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 9 हजार 700 हेक्टेयर का CCA उपलब्ध करवाया जाएगा। 'प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत इन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि के आधार पर गति दी जाएगी। 'प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत 4

17.02.2024/1245/av/hk/2

योजनाओं में से लाबरंग गार्डन कॉलोनी तथा पूह के लिए स्वीकृत योजना को पूरा करने के लिए लगभग 53 लाख रुपये की धनराशि Tribal Development Programme से उपलब्ध करवाई जाएगी।

129. 644 करोड़ रुपये की लागत से फिन्ना सिंह बहुउद्देश्यीय मध्यम सिंचाई परियोजना को सचिव, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (DoWR, RD & GR) की अध्यक्षता में हुई Screening Committee की बैठक में 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme (PMKSY-AIBP)' के अन्तर्गत funding के लिए अनुशंसित किया गया है। इसके निर्माण से 4 हजार 25 हेक्टेयर का CCA उपलब्ध होगा तथा इसके साथ ही 1.88 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से लगभग 290 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। केन्द्र द्वारा जारी धनराशि के आधार पर इस परियोजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी।

जल शक्ति के लिए कुल 3 हजार 365 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सड़कें एवं पुल

130. अध्यक्ष महोदय, मानसून आपदा के चलते प्रदेश में सड़कों तथा पुलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। हमारी सरकार द्वारा बिना समय गंवाये राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा बहुत ही कम समय में सभी मुख्य सड़कें traffic के लिए खोल दी गईं। छोटी-सी अवधि में 18 Bailey bridges एवं 27 Ropeway झूलों की सहायता से क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से ऐसे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों

तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जिन्होंने दिन-रात प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर बहाली का कार्य किया, दिल से धन्यवाद करता हूं।

131. रेलवे तथा जल परिवहन के अभाव में प्रदेश को एक मजबूत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है। पिछले लगभग 53 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में बहुत-सी नई सड़कें बनीं तथा उनके माध्यम से बहुत से गांव जुड़े। वर्तमान में 40 हजार 703 किलोमीटर

17.02.2024/1245/av/hk/3

मोटर योग्य सड़कें, 34 हजार 55 किलोमीटर पक्की सड़कें तथा 2 हजार 478 पुल हैं। कुल 3 हजार 615 ग्राम पंचायतों में से 3 हजार 578 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्य अथवा जीप योग्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष बची पंचायतों में से 10 और पंचायतों को वर्ष 2024-25 में मोटर योग्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

टी सी द्वारा जारी

17.02.2024/1250/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
माननीय मुख्य मंत्री .... जारी

132. हमारी सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-॥।' के अंतर्गत 2683 किलोमीटर लंबी 254 सड़कों के लिए 2643 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए जाएंगेः-

- 500 किलोमीटर लंबी सड़कों की अपग्रेडेशन।
- 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण ।
- 8 पुलों का निर्माण ।
- 15 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- इस प्रकार 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व 8 पुलों का निर्माण किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-। एवं ॥' के अंतर्गत 150 किलोमीटर लंबी सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज।

133. हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में 115 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर 631 करोड़ रुपए के व्यय से 13 पुलों सहित 19 कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 4490 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय उच्चमार्गों को टू लेन अथवा फोर लेन करने के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इनमें से राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैः-

- 500 करोड़ रुपए की लागत से सैंज-लुहरी-ओट ।
- 750 करोड़ रुपए की लागत से सैंज-लुहरी-ओट राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर जलोड़ी पास सुरंग का निर्माण ।
- 200 करोड़ रुपए की लागत से नगरोटा-बगवां-रानीताल ।
- 300 करोड़ रुपए की लागत से चंबा-भरमौर ।
- 500 करोड़ की लागत से नाहन-कुमारहट्टी ।
- लगभग 250 करोड़ की लागत से विभिन्न राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक पर पुलों का निर्माण ।
- लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य।

134. आगामी वर्ष के दौरान नाबार्ड के माध्यम से आर. आई. डी. एफ. के अंतर्गत 205 किलोमीटर लंबी नहीं सड़कों, 305 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 425 किलोमीटर लंबी सड़कों की टारिंग तथा 27 पुलों का निर्माण किया जाएगा।

135. सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी0आर0आई0एफ0) के अंतर्गत निम्न पांच सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 2024-25 में पूरा किया जाएगा :-

- जिया-मणिकर्ण सड़क पर वर्षा से हुए नुकसान का मरम्मत कार्य ।
- शाहपुर-सहुंता-चुवाड़ी मार्ग का उन्नयन ।
- व्यास नदी पर टेरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल का निर्माण ।
- बागछाल-मैहरे-बड़सर सड़क का उन्नयन ।

- पंडोगा-तियूड़ी में स्वां नदी पर पुल का निर्माण।

136. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण तथा लागत को कम करने की दृष्टि से वर्ष 2024-25 में 230 किलोमीटर लंबी सड़कों पर प्लास्टिक बेस्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक ऊंचाई वाली सड़कों पर कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है,
वहम की क्या दवा करें।

137. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा निम्नलिखित सड़कें तथा संबंधित निर्माण कार्य किए जाएंगेः-

- ✓ 860 किलोमीटर लंबी कुल सड़कों का निर्माण।
- ✓ 1067 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज।
- ✓ 1075 किलोमीटर लंबी सड़कों पर मैटलिंग एंड टारिंग।
- ✓ 57 पुलों का निर्माण।
- ✓ 10 पंचायत के 40 गांव को सड़कों से जोड़ना।

सड़कों एवं पुलों के लिए कुल 4317 करोड़ पर प्रस्तावित हैं।

उद्योग/निजी निवेश

138. अध्यक्ष महोदय, बाजार की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए 2019 में अधिसूचित 'औद्योगिक निवेश नीति' में बदलाव करना आता है जिससे भावी निवेशकों को कम

टी0सी0वी0 द्वारा जारी ...

17.02.2024/1255/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
माननीय मुख्य मंत्री .... जारी

कम-से-कम समय में सभी स्वीकृतियां एक ही विंडो के माध्यम से मिल जाए। इससे निवेशक और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हमारी सरकार वर्ष 2024-25 में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए एक नई "औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति 2024" लाएगी।

139. प्रदेश के युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार की अनगणित संभावना हैं। युवाओं को इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए की आवश्यकता है। इसके लिए मैं वर्ष 2024-25 में एक नई "स्टार्ट-अप नीति 2024" लाने की घोषणा करता हूं। इस नीति के अंतर्गत इनोवेशन के लिए तथा महिलाओं को स्टार्टअप वेंचर हेतु विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्ट-अप को एक वर्ष के लिए अधिकतम चार लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।

140. उद्योग क्षेत्र राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। मेरी सरकार का प्रयास है इस क्षेत्र को सर्वोत्तम इको-सिस्टम प्रदान करना है। पिछले साल की आपदा के दौरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बहाली कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना के उद्देश्य से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी(ई0डी0) उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी जिन्हें हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति 2019 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भुगतान करने में छूट दी गई थी।

141. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रभावी रूप से कई कदम उठाए हैं। 10 वर्षों से भी अधिक पुरानी प्रदेश की खनन नीति में कुछ बदलाव किए जाने आवश्यक है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश में "हिमाचल प्रदेश माइन्स एंड मिनरल्स पॉलिसी, 2024" लाई जाएगी जिसके मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर रोग तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करना होंगे।

142. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से आग से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं के लिए अलग मानदण्ड तैयार किए जाएंगे। इन मानदण्डों में औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की संख्या तथा किस्म के आधार पर केमिकल्स, बिजली तथा अन्य कारणों से लगने वाली आग से निपटने के लिए अलग-अलग

एस0ओ0पीज0 तथा केमिकल प्रोटेक्शन सूट, फॉर्म कंपाउंड टैंक, ड्राई केमिकल पाउडर सहित अन्य उपकरणों और सामग्री का प्रावधान किया जाएगा।

143. बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र का प्रदेश के संसाधनों तथा स्वरोजगार सर्जन में बहुत बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं निवेशकों तथा कामगार दोनों के लिए आवश्यक है। मैं इस क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की लागत से शीतलपुर से जगातखान तक सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। यह सड़क 'मेडिकल डिवाइस पार्क' ढेरोवाल को बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी।

परिवहन

144. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में 17 पेट्रोल पंप पर ई-वहीकल चार्जिंग स्टेशन्ज के साथ-साथ 'इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड' तथा 'राज्य विद्युत बोर्ड' की साझेदारी के साथ अन्य 33 पेट्रोल पंप पर 'ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन' को पूर्ण रूप से कार्यशील किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 55 और अन्य सरकारी क्षेत्र के ई- व्हीकल चार्जिंग स्टेशन्ज को कार्यशील कर दिया जाएगा।

145. वर्ष 2023-24 में की गई एच0 आर0टी0सी0 की डीजल बसों को इलेक्ट्रिकल बसिज से चरणवद्ध क्रम में बदलने की घोषणा के बाद अब तक एच0आर0टी0सी0 के बेड़े में 110 इलेक्ट्रिक बसिज और 50 इलेक्ट्रिक टैक्सिस हो गई हैं। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, मैं घोषणा करता हूं कि 2024-25 में 327 अतिरिक्त डीजल बसिस को इलेक्ट्रिकल बेसिस से बदला जाएगा। इस पहल में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती चरण में माननीय विधायकों से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच रुटों पर ई-बस चलाने के लिए प्राथमिकताएं मांगी गई हैं।

146. 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना' के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 40% उपदान पर ई-टैक्सिज चलाने के लिए 10,000 परमिट दिए जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि 2024 में वन विभाग एच0आर0टी0सी0, एच0पी0टी0डी0सी0, जी0ए0डी0 के एलिजिबल वाहन ई-व्हीकल में बदल दिए जाएंगे।

147. धार्मिक स्थलों के लिए बसें चलाने हेतु प्रथम दर्शन सेवा का विस्तार किया जाएगा। प्रथम चरण में, श्री अयोध्या धाम के दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से 6 बसें चलाई गई हैं। वर्ष 2024-25 में कुछ अतिरिक्त संस्थानों में से भी इस बस सेवा को चलाया जाएगा।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

17-02-2024/1300/एन0एस0-ए0जी0/1

148. वर्ष 2024-25 में 'वाहन स्क्रैप नीति' के अंतर्गत प्रदेश में "व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी सेंटर्ज (वी0एस0एफ0सीज0)" की स्थापना की जाएगी। जिससे प्रदेश के सभी 12 जिलों को इसकी सुविधा मिल सके।

149. मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2024-25 में ऑटोमेटिड टैंस्टिंग सेंटर्ज के माध्यम से सभी वाहनों की फिटनैस अनविार्य कर दी जाएगी ताकि वाहनों को फिट डिक्लेयर करने में मानवीय गलती न हो।

150. परिवहन नियमों की उल्लंज्ञना पाए जाने पर ऑनलाइन चालान के लिए विभागीय अधिकारियों को ई-चालान एंड ई0-पी0ओ0एस0 मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

151. सभी परिवहन बैरियर्ज पर ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकॉगनेशन (ए0एन0पी0आर0)/क्लोज सर्कट टेलीविजन (सी0सी0टी0वी0) कैमराज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सकें। इस प्रणाली की सहायता से ट्रेफिक को भी सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

152. 272 करोड़ रुपये की लागत से नेचर पार्क, मोहाल तथा बिजली महादेव के बीच हायब्रिड एन्युटि मॉडल (एच0ए0एम0) पर एक 3.2 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। इस रोपवे पर होने वाले लाभ का 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार को प्राप्त होगा।

153. लगभग 54 करोड़ की लागत से निर्मित किए जा रहे बगलामुखी रोपवे को हाल ही में आई आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ था जिसके कारण इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए 05 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई। मैं सहर्ष घोषणा करता हूं कि इसका निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्ष इसे प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

154. हमारी सरकार प्रदेश के लोगों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परवाणु तक की broad gauge rail line बिछाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करेगी। इसी के साथ जेजों से पोलियाँ तक की रेल लाईन बिछाने के लिए भी भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इसके बिछने से प्रदेश में बन रहे 'बल्क ड्रग फार्मा पार्क' तक रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। वर्ष 2024-25 में इन दोनों रेललाईनों के सर्वे पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

वन

155. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 93 ईको टूरिज्म साइट्स को मेनेजमैंट एंड ऑपरेशन के लिए चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्स किया जाएगा। प्रथम चरण में 13 ईको टूरिज्म साइट्स को आउटसोर्स करने के लिए 'रिक्वैस्ट फार प्रपोजल (आर0एफ0पी0)' को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा वर्ष 2024-25 में इन सभी साइट्स को आउटसोर्स कर दिया जाएगा।

156. हमारी सरकार द्वारा की गई पहल के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्किंग प्लान्ज के आधार पर खैर की सिल्वीकल्चर फैलिंग की अनुमति प्रदान की गई है। इससे न केवल स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी बल्कि उनको खैर के पेड़ काटने के बाद और अधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा भी मिलेगी। वर्ष 2024-25 में 10 फोरेस्ट डिवीजन में लगभग 13 हज़ार खैर के पेड़ काटने की योजना तैयार की गई है। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। माननीय न्यायालय के इस निर्णय से प्रेरित होकर हमारी सरकार चील के पेड़ काटने की अनुमति के लिए भी याचिका दायर करेगी। इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ ईको-सिस्टम सर्विसिज की गुणवत्ता भी सुधरेगी।

157. 'हरित हिमाचल' की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, उपनगरीय और शहरी क्षेत्रों में 'Green Himachal', biodiversity parks, nature parks, river side parks स्थापित किए जाएंगे। इन पार्कों को ईको-फ्रेंडली मटीरियल्ज के उपयोग से डिजाइन और विकसित किया जाएगा। इस हस्तक्षेप के माध्यम से मक साइट्स को भी बहाल किया जाएगा।

158. अध्यक्ष महोदय, मैं वनों से संबंधित सभी ऑपरेशन्ज को बीट लैवल पर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की सभी 2061 फोरेस्ट बीट्स में एक-एक वन मित्र नियुक्त करने की घोषणा करता हूं। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में पूरी कर ली जाएगी। कम्युनिटीज की सहायता से वनों के प्रबंधन में इन वन मित्रों की अहम भूमिका रहेगी।

159. इसी के साथ मैं वर्ष 2024-25 में वन विभाग में फोरेस्ट गार्डज के 100 रिक्त पदों को भरने की घोषणा करता हूं।

वन विभाग के लिए कुल 834 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

160. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उसे ग्रीन बनाने के लिए मैं "मुख्य मंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना" आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत अगले 4 वर्ष में प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 2 गांव चयनित किए जाएंगे तथा राज्य के साईंस पोस्ट ग्रेज्युएट्स तथा इंजीनियरिंग ग्रेज्युएट्स को उन गांवों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान के लिए 2 साल तक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

161. हाल ही में हुई भारी वर्षा और जलवायु में निरंतर आ रहे बदलाव के दृष्टिगत वर्ष 2024-25 से जिला स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने का काम आरंभ किया जाएगा। पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी।

एन0एस0 द्वारा -------जारी

162. वर्ष 2024 25 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा GIZ के सहयोग से कृषि और बागवानी क्षेत्र पर बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक 'नीड एसेसमेंट स्टडी (एन0ए0एस0)' शुरू की जाएगी। जो हमारे प्रदेश में आपदा आई उसकी स्टडी के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया।

163. प्रदेश में अवैध तथा अनसाइंटिफिक माइनिंग को रोकने के उद्देश्य से एक जी.आई. बेस्ड ऐप आरम्भ की जाएगी जिसकी सहायता से प्रदेश में हो रही माइनिंग गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी।

164. प्रदेश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जी0आई0) को बढ़ावा देने के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी जिसके माध्यम से कमर्शियल प्रोडक्ट्स की जी0आई0 टैगिंग की जाएगी ताकि उत्पादकों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को उचित मूल्य मिल सके।

डिजिटाइजेशन, गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी

165. अध्यक्ष महोदय प्रदेश में गवर्नेंस को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में मैं वर्ष 2024 25 के दौरान निम्न कदम उठाने की घोषणा करता हूं :-

- ✓ प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए0आई0) के साथ-साथ डाटा एनालिटिक्स की सहायता से एविडेंस बेस्ड नीति निर्धारण के लिए एक वर्क प्लान बनाकर इस दिशा में शुरुआत की जाएगी ।
- ✓ 'ऑनलाइन सेवा पोर्टल' के माध्यम से पहले से उपलब्ध ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को और प्रभावी ढंग से प्रदेशवासियों तक पहुंचाने के लिए एक मोबाइल एप आराम की जाएगी।
- ✓ हिमाचल प्रदेश सचिवालय निदेशालय, सभी डीसी एवं एसपी कार्यालय और 253 फील्ड कार्यालय में ई-ऑफिस का सफल कार्यान्वयन करने के

बाद इसके माध्यम से सभी कार्यालयों में ई-हस्ताक्षर की सुविधा के साथ-साथ ऑनलाइन ई-डिस्पैच की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

- ✓ सी0एम0 डैशबोर्ड को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों को रिपोर्टिंग मैनेजमेंट पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विभागों से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर उचित समय पर उचित निर्णय लिया जा सके।
- ✓ 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प' हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा ताकि प्राप्त शिकायतों का काम से कम समय में निवारण हो सके।
- ✓ गत वर्ष विकसित किए गए डीबीटी पोर्टल को 'नेशनल डीबीटी पोर्टल' के साथ जोड़ा जाएगा जिससे दोनों पोर्टल्ज की सूचनाओं को साझा किया जा सके।
- ✓ निवेश को द्वारा किए गए 5G कनेक्टिविटी के लिए ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र निपटारे हेतु राइट ऑफ वे (आर0ओ0डब्ल्यू0) पोर्टल को आवश्यक संशोधनों सहित अपडेट किया जाएगा।
- ✓ स्टेट डाटा सेंटर (एस0डी0सी0) के अपग्रेडेशन का कार्य अगस्त, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा । इससे अपना डाटा और अन्य सूची अन्य सूचनाओं की सुरक्षा के लिए न्यूनतम उपाय किए जाएंगे।
- ✓ हिम परिवार रजिस्ट्री के सफल कार्यान्वयन के बाद विभिन्न नागरिक सेवाओं को इसके साथ एक एकीकृत किया जाएगा ताकि प्रदेशवासियों को विभिन्न सेवाओं का लाभ कम से कम समय में मिल सके।

भू-प्रशासन सुधार

166. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 25 से 'मेघ-जमाबंदी' के अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी समय जमीन से संबंधित रिकार्ड की प्रतियां डाउनलोड कर सकेगा। इस पोर्टल पर यूपीआई/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

167. 'मेघ चार्ज' के अंतर्गत 'किसान क्रेडिट कार्ड' ऋण लेने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके माध्यम से बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों तथा तहसील कार्यों में बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी औपचारिकताएं इस एकीकृत मॉड्यूल के माध्यम से पूरी करके बहुत कम समय में ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

168. संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान मेघ-पंजीकरण मॉड्यूल के माध्यम से आरंभ किया जाएगा। इसी तरह मेघ-म्यूटेशन मॉड्यूल के उपयोग से ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

169. बहुत से भू-अभिलेखों का वर्णन कठिन शब्दों में उपलब्ध है। इन भू-अभिलेखों का अनुवाद संविधान के अनुसूची-VII में सूचीबद्ध विभिन्न भाषाओं में करवाने का कार्य शीघ्र किया पूरा जाएगा।

अतिरिक्त संसाधन

170. अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पिछले बजट में घोषित अतिरिक्त संसाधन जुटाना के उपाय के अनुक्रम में मैं निम्न घोषणाएं करता हूं :-

- करदाताओं की सुविधाओं के लिए वेट तथा अन्य करों के भुगतान के लिए वर्ष 2024 25 में एक 'मोबाइल ऐप' की शुरुआत की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से करदाता ऑनलाइन कर भुगतान कर सकेंगे ।
- प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक केंदों पर विभिन्न करदाताओं से फीडबैक लेने तथा उन्हें पेश आने और इस समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देश्य से 'करदाता संवाद अभियान' आरंभ किया जाएगा। इससे प्रदेश की कार्य एवं आबकारी प्रणाली को और सरल तथा पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ...

17.02.2024/1310/rks/as/-1

गृह/कानून व्यवस्था

171. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में 50 करोड़ रुपये की लागत से शहरी क्षेत्रों में स्थित police stations के प्रांगण अथवा station के आस-पास उनमें कार्यरत police staff के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्माण कार्य किया जाएगा।

172. अध्यक्ष महोदय, पिछले बहुत समय से पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मैं पुलिस कर्मियों को वर्तमान में दी जा रही 210 रुपये की डाइट मनी को लगभग 5 गुणा बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। इस प्रकार पुलिस कर्मियों को लगभग 9 हजार रुपये से अधिक प्रतिवर्ष लाभ होगा। इससे लगभग 18 हजार पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे। इससे 16 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक व्यय होंगे।

173. अगले 5 वर्षों में प्रदेश की एक प्रतिशत जनता को 'Civil Defence Scheme' के अन्तर्गत लाया जाएगा। यह पहल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा राहत कार्यों में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

174. अग्निशमन से सम्बन्धित NOC देने तथा उसे withdraw करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'Himachal Pradesh Fire Fighting Services Rules' अधिसूचित किये जाएंगे।

175. मैं वर्ष 2024-25 में, कांगड़ा के चंगर बड़ोह में sub fire station, मण्डी के कोटली और लडभड़ोल में fire post खोलने तथा ठियोग स्थित fire post को sub fire station में उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त निरमंड, कुनिहार और उबादेश (कोटखाई), छोटा भंगाल तथा कांगड़ा के चुहार घाटी में अग्निशमन इकाइयां खोलने की भी घोषणा करता हूँ।

17.02.2024/1310/rks/as/-2

खेल एवं युवा सेवा

176. प्रदेश के युवाओं को खेलों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में एक नई खेल नीति लाई जाएगी। इसके अन्तर्गत मैं सहर्ष निम्न घोषणा करता हूँः-

- ओलम्पिक्स खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किये जाएंगे।
- एशियन खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर अढाई करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किये जाएंगे।
- कॉमन वैल्थ खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किये जाएंगे।
- टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि दी जाएगी। जैसे कि हमारी बेटियां एशियन गेम्स खेल कर आई और उनमें तीन या चार बेटियां सलैक्ट होकर आगे जाती हैं तो अनुपात के हिसाब से यह राशि दी जाएगी। जो बेटियां एशियन खेल की कुश्ती कॉम्न वैल्थ गेम्स में जीत कर आएंगी उनको इसी वर्ष यह राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी।
- राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 Tier किराया दिया जाएगा तथा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए economy class air fare दिया जाएगा।

17.02.2024/1310/rks/as/-3

- सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3 प्रतिशत खेल कोटा के अन्तर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।

- मैं विभिन्न स्तरों की प्रतिस्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बढ़ौतरी करने के बाद निम्न की घोषणाएं करता हूंः-
  - प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन दिये जाएंगे।
  - अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन दिये जाएंगे।
  - सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपये प्रतिदिन दिये जाएंगे।
  - प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपये तया 400 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी।

177. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 में निम्न खेल परिसरों के निर्माण कार्य आरम्भ करने की घोषणा करता हूंः-

* हमीरपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

* ऊना के पंजोआ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

* मनाली बंदरोल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।

* रैहन में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

* देहरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

* खरीड़ी, नदौन में इंडोर बहुउद्देश्यीय खेल परिसर का निर्माण।

* कसुम्पटी में इंडोर बहुउद्देश्यीय खेल परिसर का निर्माण।

* जयसिंहपुर में इंडोर बहुउद्देश्यीय खेल परिसर का निर्माण ।

* ढली बाईपास में इंडोर बहुउद्देश्यीय खेल परिसर का निर्माण।

आर.के.आर. द्वारा जारी

17.02.2024/1315/rks/as/-1

सूचना एवं जन सम्पर्क

178. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को Films की shooting के लिए एक favourite destination बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 से हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी, वर्ष 2024 का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके तहत राज्य स्तर पर एक 'Film Development Council' का गठन किया जाएगा तथा सूचना एवम जन सम्पर्क विभाग में 'Film Facilitation Cell' की स्थापना की जाएगी। फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑन-लाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए web portal की स्थापना की जाएगी।

179. सरकारी योजनाओं तथा विकास नीतियों को प्रभावी रूप से विभिन्न web channels, news websites और Social Media Influencers के माध्यम से प्रसारित एवम प्रचारित करने के लिए 'Digital Media Policy, 2024' का कार्यान्वयन किया जाएगा।

180. सरकारी कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचना को 'हिम सूचना कोष' Data App के माध्यम से संकलित किया जाएगा जिससे कि प्रकाशन के लिए तथा प्रैस में देने योग्य सूचना को तुरंत ही प्राप्त करके प्रेस नोट अथवा लेख प्रिंट किये जा सकें।

सैनिक कल्याण

181. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार युद्ध तथा शांति के समय में प्रदेश के लगभग 3 लाख भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवम शौर्य पुरस्कार विजेताओं द्वारा दी गई सेवाएं तथा उनके बलिदान के लिए उनकी सदैव ऋणी रहेगी।

182. मैं घोषणा करता हूं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, जिनको और कोई पेंशन नहीं मिलती है, को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमास कर दिया जाएगा।

183. हमारी सरकार वर्ष 2024-25 में सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत पदों को प्राथमिकता पर भरा जाए।

17.02.2024/1315/rks/as/-2

सहकारिता

184. अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले बजट में घोषित प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं की computerization के अनुक्रम में इन्हें सहकारी बैंकों, सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय database से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा इसे तय समय सीमा वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सहकारी सभाओं का ऑन-लाइन पंजीकरण किया जा रहा है।

मानदेय वृद्धि

185. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्ज कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूंः-

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
- मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 400 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 7,000 रुपये मिलेंगे।

बी.एस. द्वारा जारी

17.02.2024/1320/बी.एस./डी सी/-1

- आंगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 5500 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा।
- आशा वर्कर को 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपये मानदेय मिलेगा।
- सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी की जाएगी।

- मिड डे मील वर्कर्ज को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल रक्षक को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5000 रुपया प्रतिमाह मिलेंगे।
- पैरा फीटर तथा पंप-ऑपरेटर को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- पंचायत चौकीदार को 1000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- राजस्व चौकीदार को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- राजस्व लम्बरदार को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- एस.एम.सी. अध्यापकों के मानदेय में 1900 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी।
- आई.टी.टीचर को 1900 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी।
- एस.पी.ओज. को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी।

तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है,
हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है।

7.02.2024/1320/बी.एस./डी सी/-2

<u>विधायक प्राथमिकता</u>

186. प्रत्येक वर्ष की भांति माननीय विधायकों के साथ हुई बैंठकों के दौरान सामने आए सुझावों के आधार पर मैं निम्न घोषणाएं करता हूंः-

- शिमला विधान सभा चुनाव क्षेत्र शहरी क्षेत्र होने के कारण नाबार्ड के RIDF के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकता योजनाओं की स्वीकृति हेतु पात्र नहीं हैं। यही समस्या धर्मशाला, मण्डी, सोलन तथा पालमपुर नगर निगमों में पड़ने वाले विधान

सभा चुनाव क्षेत्रों में भी आने वाली है। मैं इन पांच शहरी विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के लिए National Housing Bank के माध्यम से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अन्तर्गत इन शहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृत करवाने की घोषण करता हूं। जो नगर निगम कि दायरे में शिमला में काफी सालों से इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजैक्ट में कोई पैसा नहीं मिलता था। परंतु चार और नगर निगम बन गए हैं और वे भी इन्फ्रास्ट्रक्चर के दायरे में नहीं आते थे। जो हमें नाबार्ड के तहत मिलता है उससे शिमला शहर को भी दिलाएंगे।

- हमारी सरकार के 'व्यवस्था परिवर्तन' के संकल्प के अनुक्रम में, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 से विधायक प्राथमिकताओं के स्वरूप में भी परिवर्तन करने की घोषणा करता हूं। अब माननीय विधायकों द्वारा सड़कों, पुलों पेयजल योजनाओं अथवा लघु सिंचाई योजनाओं की तीन वास्तविक नई स्कीमों की प्राथमिकताएं दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त में से एक प्राथमिकता किसी भी पूर्व निर्मित स्कीम के रख-रखाव से संबंधित दी जा सकेंगी। पांचवी प्राथमिकता HRTC के वर्तमान रूट पर electric bus चलाने तथा आवश्यक charging stations से संबंधित होगी।
- Overhead बिजली की तारों तथा अधूरे मुख्य मंत्री लोक भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' के अन्तर्गत प्रावधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'मुख्य मंत्री आवास योजना' के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यदि माननीय विधायक किसी भी श्रेणी के लाभार्थी के आवास बनाने के लिए अनुशंसा करना चाहे तो वे इस निधि से कर पाएंगे।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

17.02.2024/1325/बी.एस./डी सी/-1

- इसी के साथ विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 20 करोड़ रुपये बढ़ाकर, 175 करोड़ रुपये से 195 करोड़ रुपये करने की भी मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई राशि में से प्राथमिकताएं electric buses चलाने तथा charging stations से संबंधित होंगी।

- 'विधायक ऐच्छिक निधि' को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा।
- 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि को 2 करोड़ 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

187. अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत कार्यों को शुरू करने के लिए जन प्रतिनिधियों के पास बहुत अधिक मांग रहती है जोकि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कहीं अधिक है। इस प्रक्रिया में हर साल नए कार्य शुरू होते हैं जबकि पहले से चल रहे कार्य संसाधनों की कमी के कारण रूक जाते है। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चल रहे अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। मैं घोषणा करता हूं कि चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए 2024-25 में कम-से-कम एक हजार रुपये खर्च किए जाएंगे और उन कार्यों पर जोर दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब हैं। राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि चल रहे कार्यों को पूरा करने को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि कोई कार्य एक करोड़ रुपये में फंसा है, कोई एक लाख रुपये में फंसा है। कई जगहों पर 4-4 करोड़ रुपये की बिल्डिंग्ज बनी हैं।

कर्मचारी कल्याण

188 अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्ज की महत्वपूर्ण योगदान को समझती है। उनके बढ़े हुए वेतन के एरियार्ज के भुगतान के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। कर्मचारी व पैंशनर्ज बहनों और भाइयों को भी वर्तमान सरकार को पुरानी सरकार से विरासत में मिली विकट वित्तीय स्थिति की जानकारी है। जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पैंशनर्ज हैं वे रोज कहते

17.02.2024/1325/बी.एस./डी सी/-2

हैं और उनको हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जानकारी है। दशकों से हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के वेतनमानों का अनुसरण करती आई है। अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पैंशनर्ज के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।

189 कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं, निम्नलिखित घोषणाएं करता हूंः-

- सभी कर्मचारियों और पैंशनर्ज के वेतन तथा पैंशन से संबंधित एरियर्ज का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
- 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के leave encashment and gratuity से संबंधित एरियर्ज का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
- मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की किश्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।
- प्रदेश के कर्मचारी अभी तक अपने सेवाकाल के अंत में केवल एक बार All India Leave Travel Concession (LTC) ले सकते हैं। यदि उन्होंने 25, 30, 35 या 40 वर्ष तक नौकरी कर ली तो एक ही बार एल.टी.सी. की सुविधा उन्हें दी जाती थी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल, 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविधा ले पाएंगे।
- दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।
- आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7 हजार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7, 500 रुपये किया जाएगा।

हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

17.02.2024/1330/डीटी/एचके-1

बजट अनुमान

190. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों पर आता हूं। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 40,446 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 45,926 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5,480 करोड़ रुपये का राजस्व deficit अनुमानित है।

191. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

192. वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 46,667 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,514 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत है।

193. वर्ष 2024-25 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज अदायगी पर 11 रुपये, ऋण अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10 रुपये, जबकि शेष 28 रुपये पूँजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किये जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है। इसके अलावा FRBM Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

194. अध्यक्ष महोदय, इस बजट अभिभाषण के मुख्य बिन्दु अनुबन्ध में दर्शाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द - जय हिमाचल

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, 19 फरवरी, 2024 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांकः 17 फरवरी, 2024 **यशपाल शर्मा**
शिमला-171004. **सचिव।**